RNI No.-13466/1963
Postal Regd. No. GPOLW-NP/181/2024-26
Total No. of Page - 44
Postal Date : 18 & 19 Every Month

जून, 2024

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

मूल्य : 15.00

सहकारिता

हिन्दी मासिक पत्रिका

पर्यावरण संरक्षण में हमारा दायित्व

आधी आबादी को पूरे अधिकार

सहकारिता गाँव

ग्रीष्म ऋतु का खान-पान एवं रहन-सहन

आम है बेहद खास

xko&in'k ,o n'k&fon'k rd dh lgdkjh xfrfof/k;k dh tkudkjh gr i<

“सहकारिता”

(हिन्दी मासिक पत्रिका)

lgdkfjrk] lektokn] df"k ipk;rhjkt ,o
xkeh.k fu;kstu dk Kku ni.k

“सहकारिता”

(हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र)

lgdkjh xfrfof/k;k dh tkudkjh gr

सहकारिता पढ़िये, सहकारिता से जुड़िये

सहकारिता

वर्ष-61 अंक-12 जून, 2024

संरक्षक

अनिल कुमार (आई.ए.एस.)

आयुक्त एवं निबन्धक

सहकारिता, उ0प्र0

श्रीकान्त गोस्वामी

प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह

महाप्रबन्धक (प्रशा0,शिक्षा)

सुनील कुमार दिवाकर

प्रभारी सम्पादक

पवन कुमार वर्मा

आवरण एवं लेजर टाइप/प्रूफ रीडर

सदस्यता शुल्क :

एक प्रति : 15.00 रूपये

वार्षिक (बारह अंक) : 150.00 रूपये (डाक से)

आजीवन : 1500.00 रूपये

सदस्यता शुल्क व्यक्तिगत या बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा सम्पादक ''सहकारिता'' यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, 14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0) के पते पर भेजें।

सम्पादकीय कार्यालय :

यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0) 226 001.

फोन नं0: 0522-4004577 मो0 नं0 : 9415094114

ई-मेल : sahkarita@gmail.com,

स्वत्वाधिकारी यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रकाशक, मुद्रक, सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस 14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0) से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रभारी सम्पादक - सुनील कुमार दिवाकर।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं। इसमें सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृ0सं0
1.	सम्पादकीय	4
2.	वैज्ञानिक सोच की जरूरत - डॉ0 ओ.पी. मिश्र	5
3.	शिक्षा - मुकेश कुमार ऋषि वर्मा	6
4.	सहकारिता - श्रीमती किरन कान्ती	7
5.	पर्यावरण संरक्षण में हमारा दायित्व - गौरी शंकर वैश्य ''विनम्र''	8
6.	आधी आबादी को पूरे अधिकार - रामफेर	12
7.	आदमी - राजेश पाठक	16
8.	अभीप्सित - अयोध्या प्रसाद	17
9.	आम है बेहद खास - प्रदीप कुमार गुप्ता	19
10.	अकेले और झुरमुट के पेड़ - केशव शरण	22
11.	'चुनावी वादों कि बौछार, कौन जिम्मेदार' - हरी राम यादव फैजाबादी	23
12.	वेदना में संगीत बने कविता... - लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	25
13.	शहद और स्वास्थ्य - श्रीमती कुसुम सिंह	24
14.	ग्रीष्म ऋतु का खान-पान एवं रहन-सहन - चन्द्रकान्ता शर्मा	26
15.	ग्रामोद्योग उत्पादों की कीमतों का संतुलन - सीएमए गोविन्द शुक्ल	28
16.	सहकारीदर्शन व थियोलॉजी - बृजपाल	31
17.	जल संरक्षण, जन जरूरत - अंकुर सिंह	33
18.	'सहकारिता गांव' - डा0 राघवेन्द्र शुक्ल'	36
19.	योग रखे निरोग - सोनल मंजू श्री ओमर	41

❑❑❑

सहकारी बन्धुओं व पाठकों से अपील

समस्त पाठकों, सहकारी जगत से जुड़े सरकारी व संस्थागत अधिकारी, कर्मचारी तथा सहकारी बन्धुओं से अनुरोध है कि आप अपने जीवन से जुड़ी कोई विशेष उपलब्धि/उत्कृष्ट कार्य हेतु संतुलित व्याख्या, सुझाव व विचार ''सहकारिता'' मासिक पत्रिका, यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, 14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0) पर भेज सकते हैं, या फिर ई-मेल sahkarita@gmail.com पर कर सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं।

- प्रभारी सम्पादक

सुनील कुमार दिवाकर

सम्पादक की कलम से

'सहकारिता' में व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के सभी तत्व अन्तर्निहित हैं जिसमें पारदर्शिता, सत्यता, निष्ठा, भाईचारा, मितव्ययता, शिष्टता, लोक सदाचार, परस्पर सहायता सम्मान और सहयोग, ईमानदारी, समानता व समता आदि जैसे गुण छिपे हैं।' दूसरी ओर दुर्गुणों जैसे- ईर्ष्या, घृणा, दम्भ, छल-कपट, धोखा, निर्दयता आदि का प्रतिकार करती है 'सहकारिता'।

जन साधारण की भाषा में 'सहकारिता' का अभिप्राय की आवश्यक शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान की सम्भावनाओं पर विचार करते हैं।

साथ-साथ मिलजुल कर एक मंच पर संगठित होकर जब लोग परस्पर चर्चा करते हैं तब निम्नलिखित लाभ होते हैं।

अपनी समस्याओं की परस्पर चर्चा करने से तनाव से मुक्ति मिलती है और चिन्तायें कम हो जाती हैं। जिससे अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें तो दूर होती ही हैं, रोग विशेष पर लोगों के अनुभूत प्रयोग, बेहतर चिकित्सा पद्धति, चिकित्सक और चिकित्सालयों का पता चलता है। इसके साथ ही आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में भरोसा बढ़ता है, जब लोग अपने अनुभव साझा करते है तब रोजगार, काम धन्धों को बढ़ाने और व्यवसायों की नई राहें तलाश करने में मद्द मिलती है। लोगों को अपनी गलतियों का पता चलता है तथा उनको सुधारने के समुचित तरीके पता चलते हैं जिससे आर्थिक संबर्धन के बेहत्तर मार्ग प्रशस्त होते हैं। सहकारिता की इस संगठित शक्ति से विभिन्न सामाजिक समस्यों को सुलझाने के साथ-साथ शोषण और अन्याय के विरूद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास होता है।

नैतिकता के उपरोक्त गुणों से सुसज्जित व्यक्ति की प्रायः सभी सेवायोजकों को रोजगार के लिए तलाश रहती है व्यवसाय अथवा स्वरोजगार में ऐसे व्यक्तियों की विशेष पहिचान और साख रहती है जिससे प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप की अभिवृद्धि होती है।

यदि कॉरपोरेट सेक्टर में भी सहकारिता के मूल्यों के महत्व की बात कही जाय तो शिखर तक पहुॅचने वाले अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने उक्त नैतिकता के मूल्यों से समझौता नहीं किया और शिखर तक पहुंचे हैं। कॉरपोरेट की इस नई पीढ़ी के लिए इनफोसिस कम्पनी के संस्थापक नारायणमूर्ति मेट्रोमैन श्री धरन तथा माइक्रोसोफट कम्पनी के संस्थापक बिल गेटस के नाम विशेष रूप से अनुकरणीय है।

अन्ततः 'सहकारिता' विभिन्न समस्याओं के समाधान का एक जाना पहिचाना श्रेष्ठतम और स्थापित रास्ता है, कोई संपरीक्षण नहीं है। ❑

वैज्ञानिक सोच की जरूरत

डॉ0 ओ.पी. मिश्र,
डी.लिट (अर्थशास्त्र)
अखिल भारतीय साहित्य परिषद प्रान्त सम्मान–2023
अवन्तीबाई साहित्य सम्मान–2021
विद्या भूषण सम्मान–2014

विश्व के विकसित देश वे हैं जिनके नागरिकों का सोच वैज्ञानिक, भौतिक, इहलौकिक और आत्मविश्वासी रहा है। अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान आदि ऐसे ही देश हैं। हमारे यहाँ न जाने कब से ऐसा सोच तथा व्यवहार प्रचलन में रहा है जिससे देश की प्रगति बाधित है। जनता का विश्वास रहा है कि वही होगा जो विधना (ब्रह्म) ने हमारे ललाट पर लिख दिया है यानि उनका विश्वास कर्म और पुरूषार्थ में नहीं। कुछ ऐसे अंधविश्वास के कारण ही आठ साल का कोई बाबा त्रिशूल से मधुमेह तथा कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों का इलाज करता है। चित्रकूट के कोई बाबा चिमटे से इलाज करता है, अन्य बाबा बोतल के पानी से। भारत के किसी स्थान पर बच्चों को गंदे पानी से नहलाया जाता है ताकि वे बीमारी से मुक्त हो। क्या उपर्युक्त प्रकार के उपचारों का कोई तार्किक/वैज्ञानिक आधार है? उत्तर है ''नहीं।'' दिल्ली जैसे प्रबुद्ध महानगर में तोता कोई कार्ड उठा लेता है। फिर कार्ड के आधार पर व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बता दिया जाता है। क्या उपर्युक्त तोता सर्वज्ञ और चमत्कारी है?

हमारे धर्म प्रधान देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विज्ञान के छात्र, किसान आदि अंधविश्वास से ग्रस्त हैं। इसके अपवाद भी हो सकते हैं। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, शिक्षित नागरिकों के निर्माणाधीन मकान के ऊपर काली हाँडी टाँग दी जाती है ताकि भवन को नजर न लगे। हाँडी में कौन-सी शक्ति है जो नजर लगने से भवन को बचा लेगी? क्या आज तक ताजमहल, लालकिला, खजुराहों की भव्य/दिव्य मूर्तियों को नजर लगी?

लखनऊ वि.वि. के एम.एससी. (भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित आदि) के विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व निकटस्थ हनुमान के दर्शन करते है, प्रसाद चढ़ाते हैं और हनुमान की कृपा की याचना करते हैं। क्या हनुमान परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हें बता सकते हैं? हनुमान जी तो भक्ति और शक्ति के देवता है। कुश्ती के समय उनका स्मरण, पूजन आदि तो कुछ समझ में आता है। भौतिकी की परीक्षा में वे क्या और कितनी मदद कर सकते है?

लेखक की बजरंगबली के प्रति पूरी श्रद्धा बचपन से अब तक है। इसका आधार उनकी सेवा, भक्ति और शक्ति है।

किसान भी अंधविश्वास के शिकंजे में है। नीलगाएँ, चूहे, तोते आदि उनकी फसल को रौंद डालते हैं, कुतर देते हैं। किसान उन्हें गाय, गणेश का वाहन समझ कर अपना नुकसान सहता है। यह भक्ति नहीं अंधविश्वास है। कौन नहीं जानता कि चूहे सैकड़ों कुंटल गेहूँ प्रतिवर्ष खा जाते हैं।

पत्र-पत्रिकाओं में दैनिक राशिफल छपता है। भाग्यवादी तथा अन्धविश्वासी उसे उत्साह से पढ़ते हैं। एक ही नाम से देश में हजारों-लाखों व्यक्ति होते हैं। क्या सभी पर राशिफल का प्रभाव एक जैसा पड़ता है? द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तब वहाँ एक लाख 20 हजार आदमी मरे थे। क्या सभी के हाथ की देखाओं में उसी दिन मरना लिखा था ? टी0वी0 के ज्योतिषी, भविष्यज्ञाता और दैवज्ञ दर्शक श्रोताओं को उनका भाग्य बताते रहते हैं। इसमें कितना सच निकलता है हम सभी जानते हैं। कभी राजा के

साथ उनका ज्योतिषी भी सफर में था। ज्योतिषी ने किसी किसान को टोका और कहा ''तुम जिधर जा रहे हो उधर दिशाशूल है ..... न जाओ।'' किसान बोला ''25-30 वर्ष से उधर को आज के ही दिन जाता रहा हूँ ..... मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ ....।'' फिर राजज्योतिषी ने किसान से कहा ''अपना हाथ दिखाओ।'' किसान ने कहा ''मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। इन्ही हाथों से मेहनत करता हूँ और मौज से रहा रहा हूँ .....।'' स्पष्ट है सजग किसान ने ज्योतिषी को उसकी औकात बता दी। क्या किसान की कर्मठता के समक्ष ज्योतिषी का ज्ञान धरा नहीं रह गया ?

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भारतीयों में वैज्ञानिक सोच (Scientific Temper) पैदा करने के लिए भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाएँ पूरे देश में स्थापित कराईं। आशा की गई थी कि लोगों का अंधविश्वास टूर होगा। वे आत्म विश्वासी बनेगें। ज्योतिषियों, भविष्य वक्ताओं आदि के चक्कर में नहीं पड़ेगें किन्तु इसके आशानुकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

आज भी पढ़े लिखे लोग खाली घड़ा देखकर रूक जाते हैं। बिल्ली के रास्ता काट जाने पर वैज्ञानिक तक अपनी कार रोक देते हैं। काने व्यक्ति को अशुभ माना जाता है। क्या इनके पीछे वैज्ञानिक सोच है ? क्या बिल्ली को अपने ढंग से आने जाने का अधिकार नहीं है ? क्या काना व्यक्ति ईश्वर की संतान नहीं है ? यदि है तो वह उतना ही शुभ है जितना दो आँख वाला व्यक्ति। हमें अपने पुरूषार्थ, आत्मविश्वास, कर्मठता आदि पर विश्वास करना चाहिए। हमें अंधविश्वास से लड़ना है। रामधारी सिंह 'दिनकर' ने 'कुरूक्षेत्र' में लिखा है-

जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर
जो उससे डरते हैं।
वह उनका जो चरण रोप
निर्भय होकर लड़ते हैं।।

❑

पता : 610/368 जी,
केशवनगर, सीतापुर रोड,
लखनऊ-226020
मो0 : 9559419018

शिक्षा

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

फूल खिलने से पहले न तोड़िए।
वरना मनभावन महक न आ पायेगी।।

बच्चों को शिक्षित हर हाल में बनाईए।
वरना राष्ट्र की नींव मजबूत न बन पायेगी।।

हम अगर सो गए आलस में तो,
महज पछतावे के हाथ में कुछ न आएगा।

तोड़कर बंधन अज्ञान के, नायक बन जाइए।
छटेगा घना कुहरा भी, सूरज बन चमक जाइए।।

सीखते बस सीखते आगे ही आगे चलते जाइए।
आयेगा अमृतकाल यह निश्चित मानिए।।

अगर करो हर क्षण का सद्पयोग तुम तो,
कंगाली का काला घेरा टूटकर
समृद्धि का सागर लहराएगा।।
मेहनत और शिक्षा से खुलेंगे द्वार प्रगति के।
बस अच्छे कर्म ईमानदारी से अपने करते जाइए।।

❑❑❑

पता : ग्राम रिहावली, पोस्ट तारौली
गूजर, फतेहाबाद, आगरा,
उत्तर प्रदेश 283111 सम्पर्क : 9456994678

सहकारिता

श्रीमती किरन कान्ती

प्रशासनिक अधिकारी, (कम्प्यू0सेल)
कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकार सहज स्वीकार करो
कृषि दर्शन को आधार करो।
कृषि, नीति, अर्थ, श्रम, उद्‌बोधन
यह विभाग इक आन्दोलन।
झंडा है इसका सतरंगा
इन्द्र धनुष सा रंग बिरंगा।
यह मोल है मानव जीवन का
और हरित क्रान्ति के दर्शन का
इसको जन-जन का आधार करो।
सहकार सहज स्वीकार .....

भारत की अर्थव्यवस्था का
रस्ता गांवों से गुजरता है
तब भारति मां का आँचल
हरा-भरा हो लहरता है।
इसका और कोई विकल्प नहीं।
मिल-जुल कर सतत् प्रयास करो।
सहकार सहज स्वीकार .....

कृषि नीति नियामक हैं सारे बस,
इन पर यदि चल सकते हैं
देश नहीं दुनिया का हम,
उदरपूर्ति कर पालन पोषण कर सकते हैं।
इस पर मिल आज विचार करो।
सहकार सहज स्वीकार .....

❑❑❑

पता :
304 पिंक सिटी कालोनी,
बुद्धेश्वर चौराहा, मोहान
रोड, लखनऊ।
मो0 : 7071553009

पर्यावरण संरक्षण में हमारा दायित्व

- गौरी शंकर वैश्य विनम्र
पूर्व सीनियर पोस्ट मास्टर,
डाक विभाग

महाकवि कालिदास ने अपनी कृति 'अभिज्ञान शाकुंतलम' में कहा है -

'न दत्ते प्रिय मण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम।'

इसका अर्थ यह है कि शकुंतला फूलों से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने श्रंगार तक के लिए फूलों और पत्तियों को नहीं तोड़ती थी। प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम और उनके प्रति मानवीय दायित्वों के निर्वहन का यह एक उत्तम उदाहरण हो सकता है। सुखी, शांत और आपदा रहित जीवन की प्रथम शर्त है कि हम उस प्रकृति एवं पर्यावरण को संरक्षित करें, जिसने अपने अनमोल कोष को खोलकर मानव जीवन को न केवल सुखमय बनाया है, अपितु उसे आकर्षक और स्वास्थ्यप्रद बनाया है। प्रकृति ने हमें सदैव सबकुछ प्रदान ही किया है. हमसे कुछ लिया नहीं। अस्तु, प्र.ति को संरक्षित करना हमारा गुरूतर दायित्व है।

पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से

पर्यावरण दो शब्दों से बना है - परि़आवरण, परि (जो चारों ओर है), आवरण (घेरे हुए), अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी को प्रभावित करती है तथा उसके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है। अपने परिवेश में हम भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव-जंतु, पेड़-पौधे तथा अन्य सजीव-निर्जीव वस्तुएँ पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं।

पर्यावरण असंतुलन विश्व की गंभीर समस्या

भारत में पर्यावरण के प्रति प्रेम और उसके संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय मनीषियों ने संपूर्ण प्रकृति ही क्या, सभी प्राकृतिक शक्तियों को देव रूप माना। ऊर्जा के स्रोत सूर्य देवता, जल देवता, नदियों, पेड़-पौधों आदि को जीवनदायी और दैवी वरदान माना।

पर्यावरण से लगातार छेड़छाड़ का परिणाम हमारे समक्ष भयावह रूप में उपस्थित है। प्रकृति विरोधी आचरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन के कारण आहत प्रकृति ने हम पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन के लिए जो दायित्व हमें निभाने चाहिए थे, हम निभा नहीं पा रहे हैं। फलतः पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव मौसम पर सबसे अधिक पड़ रहा है।

वैश्विक ताप वृद्धि पर्यावरण के लिए घातक

वैश्विक ताप वृद्धि औद्योगिक क्रांति की देन है। वर्ष 1861में वैज्ञानिक टिडेल ने ताप बढ़ने की समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए बताया कि वायुमण्डल में जल वाष्प तथा कार्बन डाइआक्साइड तथा लंबे तरंग धैर्य विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वातावरण का ताप बढ़ता है। कोयले के दहन से भी कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। इस कारण धरती का ताप बढ़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली सदी के अंतर्गत धरती का औसत तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेट बढ़ गया है। इस ताप वृद्धि की दर से वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान विनाशक स्थिति तक बढ़ जाएगा।

वैश्विक ताप बढ़ रहा है, तो ग्लेशियरों के पिघलने से नई - नई समस्याएँ आ रही हैं। बड़े-बड़े भूखण्ड आने वाले दिनों में जलमग्न हो सकते हैं। ग्लेशियर के पिघलने और समुद्र तल बढ़ने से महासागरों के अथाह जल भण्डार के वितरण में खिसकाव आने से धरती पर दबाव बढ़ा है। इससे भूकम्प और धरती में दरारें आने की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

पर्यावरण असंतुलन के कारण ही ओजोन परत के क्षीण होने तथा उसमें छेद होने की समस्या आई है। ओजोन आक्सीजन का ही एक रूप है, जिसमें दो की जगह तीन अणु होते हैं। यदि यह परत नष्ट हो जाए या कमजोर पड़ जाए, तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं, वे न केवल जीव-जंतुओं के लिए, अपितु वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होती हैं। भौतिक रूप से जीवन को सुखमय बनाने के चक्कर में हमने उन रसायनों का जमकर प्रयोग किया, जो ओजोन परत को क्षति पहुँचाते हैं। इसके दुष्प्रभाव विभिन्न बीमारियों के रूप में सामने दिख रहे हैं, जिनके निकट भविष्य में और बढ़ने की संभावना है।

बिगड़े पर्यावरण से प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि

पर्यावरण की स्थिति इस सीमा तक बिगड़ चुकी है कि अब और छेड़छाड़ असह्य हो चुकी है। पिछले दो दशकों में दुनिया भर में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में चार गुना वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं को भूमण्डल तापन (ग्लोबल वार्मिंग) से जोड़ कर देख रहे हैं।

पर्यावरण असंतुलन के कारण जलवायु परिवर्तन का आरंभ भयावह है। इससे मौसम का चक्र प्रभावित हो रहा है। बेमौसम वर्षा तथा अधिक बर्फबारी इसी का परिणाम है। कहीं-कहीं वर्षा नहीं हो रही है और अकाल की स्थिति आ गई है। ठण्डे स्थान और अधिक ठण्डे हो रहे हैं, जबकि गर्म स्थान और गर्म हो रहे हैं। भीषण गर्मी, लू, बाढ़, सूखा जैसी घटनाओं

का प्रकोप भी बढ़ा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया के 60 वर्ष या ऊपर आयु के वृद्ध लोगों की संख्या 210 करोड़ पहुँच सकती है और उन्हें भीषण गर्मी से कहीं अधिक खतरा है।

जैवविविधता पर प्रतिकूल प्रभाव

पर्यावरण असंतुलन से जीवों और पौधों की अनेक प्रजातियाँ जहाँ विलुप्त हो चुकी हैं, वहीं कुछ विलोपन के कगार पर हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के बाद भी अनेक प्राणघातक बीमारियाँ बढ़ रही हैं। पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र छिन्न-भिन्न हो रहा है। इससे कृषि पैदावार में कमी का खाद्यान्न संकट बढ़ गया है।

प्रकृति का प्रकोप सारे कोपों से बढ़कर

शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति का प्रकोप सब कोपों से बढ़कर है। यदि हमने संतुलित विकास पर ध्यान दिया होता, तो कदाचित् आपदाओं के रूप में हमें प्रकृति का यह क्रूर और विनाशकारी चेहरा न देखना पड़ता। अभी प्रकृति के कोप, जो अभी खण्ड प्रलय के रूप में हमें हिला रहे हैं, वे पूर्ण प्रलय का रूप धर हमें निगल जाएँगे। हमें अपने आचरण में बदलाव लाकर पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर विकास के पथ पर बढ़ना होगा। चूँकि यह वैश्विक समस्या है, अतएव प्रयास भी वैश्विक स्तर के होने चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण में हमारा दायित्व

पर्यावरण समस्या से उबरने के लिए वैश्विक मंचों पर बहसें तो खूब होती हैं, किंतु व्यवहारिक पहल नहीं होती। हमें कुछ विंदुओं पर समवेत रूप में विशेष ध्यान देना होगा।

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना

विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के शीर्ष उत्सर्जक चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया तथा भारत हैं। इन देशों को विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। ऐसी तकनीकें विकसित की जाएँ, जिनसे कार्बन का उत्सर्जन कम हो तथा इन्हें अधिक से अधिक प्रयोग में लाने के लिए विश्व के सभी देशों को प्रोत्साहित किया जाए। बायोगैस और सौरऊर्जा, विद्युत वाहन के प्रयोग को बढ़ावा देकर इस समस्या से निपटा जा सकता है।

वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए

वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर धरती को हरा-भरा बनाया जाए। वृक्ष दूषित वायु अवशोषित करते हैं और प्राणवायु देते हैं। वृक्षारोपण को केवल प्रोत्साहित ही न करें, अपितु वनों की कटान, वृक्षों की कटान का भरपूर विरोध किया जाए। पेड़ों को अपनी संतान की भाँति प्यार और संरक्षण देकर हमें देश में वृक्ष क्रांति लानी होगी। हमारी देश में वृक्षों के पोषण और पल्लवन की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ वृक्षों को पूजनीय माना गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वृक्षों को शिव का स्वरूप माना गया है -

औषधयो वै पशुपतिः। (शत (ब्रा)6.1.3.12)

यजुर्वेद में वृक्षों की रूद्र रूप में स्तुति की गई है-

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः।
वनानां पतये नमः।
ओषीधीनां पतये नमः। (यजुर्वेद 16. 17 - 19)

अतः हर व्यक्ति जीवन में यदि मात्र एक-एक वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो स्थिति अत्यंत सुखद हो सकती है।

वैदिक संस्कृति से संभव है पर्यावरण की सुरक्षा

वैदिक संस्कृति में पर्यावरण को निर्मित करने वाले पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्र और सूर्य आदि मूलभूत तत्त्वों को देवता की संज्ञा दी गई है। इसमें इन तत्त्वों के संरक्षण के लिए तन-मन-धन से अर्पित होने का आदेश दिया गया है। इनकी शुद्धि के लिए यज्ञ, हवन आदि करने का निर्देश है। पर्यावरण के महत्व को देखते हुए, प्रातःकाल पंचतत्वों के स्मरण करने का विधान रहा है। वामन पुराण में भावना की गई है कि पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपने तेज, अंतरिक्ष अपनी शब्द-ध्वनि और वायु अपने स्पर्श गुण के साथ हमारे प्रातःकाल को भी आशीर्वाद दे। प्रकृति जीवन को पोषित करती है और स्वस्थ पर्यावरण हमारे अस्तित्व का आधार है, इस तथ्य को हमारे ऋषिगण प्रकृति को परमेश्वरी कहते हुए देवशक्ति के रूप में उसकी उपासना और अर्चना करते थे।

आजतक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा उपकरण नहीं बना है, जो वायुमण्डल के प्रदूषण को स्वच्छ कर सके, परंतु हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि यज्ञ (हवन/अग्निहोत्र) से वायु और वर्षा-जल की शुद्धि हो सकती है। महर्षि दयानंद जी ने अपने अमर ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में (अथर्ववेद काण्ड-19 अनुवाक 7,सूक्त - 55, मंत्र - 3 तथा 4) को उद्धारित करते हुए कहा है कि '' जो संध्या काल में हवन अर्थात अग्निहोत्र किया जाता है, वह सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक और जो प्रातःकाल में हवन किया जाता है, वह प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक वायु की शुद्धि द्वारा सुख देने वाला, घातक मिनाशक तथा आरोग्यकारक होता है।

अतः हम प्रकृति के विविध घटकों में परमेश्वर की पराचेतना को अनुभव करें और उनके उपयोग के साथ समुचित संरक्षण का दायित्व समझें एवं आक्रामक व्यवहार त्याग कर इनके विकास पर ध्यान दें।

हम अपनी जीवनचर्या पर्यावरण के अनुकूल विकसित करें। इसके लिए हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। कुछ छोटे-छोटे प्रयास से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं -

-बाइक, स्कूटी या कार का प्रयोग करने के बजाय साइकिल या सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करें। विद्युत वाहनों का चलन को बढ़ावा दिया जाए।

-बाजार जाते समय पालिथीन के स्थान पर कपड़े या जूट का थैला ले जाएं।

-पानी को व्यर्थ न बाएँ, बहता हो तो उसे रोकें। जलस्रोतों को गंदा न करें।

-उन पदार्थों का प्रयोग को वरीयता दें। जिनका पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) आसानी से हो सके।

-बिजली से चलने वाले संसाधनों जैसे एसी, फ्रिज, मिक्सी का कम से कम प्रयोग कर या इन उपकरणों को बंद रखकर पर्यावरण की क्षति कम की जा सकती है।

-पेड़ काटने से बचाएँ और स्वयं घर की गृहवाटिका बनाएँ, जिसमें फूलदार, फलदार, औषधीय और सब्जी वाले पौधे लगाएँ।

-पार्क, तालाब, मंदिर, कार्यालय तथा सड़कों के दोनों ओर एवं फुटपाथों पर पीपल, बरगद, अशोक, नीम, आंवला, सहजन, बेल, बोगेनवेलिया जैसे पेड़ लगाए जाएँ।

-जन्मदिवस आदि अवसरों पर उपहार में पौधे दें।

-वृक्ष मित्र, जल मित्र, पर्यावरण मित्र टोली बनाएँ तथा उनके न्यूनतम कार्य तथा कार्यक्रम सुनिश्चित करें।

-घर तथा परिसर में कूड़ा -कचरा प्रबंधन हेतु पहले स्वच्छता फिर उसकी छँटाई, संग्रह पात्र तथा उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था बनाएँ। कहीं कूड़ा या पन्नियों को जलाया न जाए।

-घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगवाने पर जोर दिया जाए जिससे विद्युत व्यय पर निर्भरता कम की जा सके।

- घरेलू उपयोग किए गए पानी से प्रदूषण न फैले, इस हेतु भू-जल री-चार्ज व्यवस्था की जाए। घरों में वर्षा जल के भू-जल-भरण की संरचना बनाई जाए।

पर्यावरण की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति. संस्था या केवल सरकार का दायित्व नहीं है, अपितु यह हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। प्रति वर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण आज पूरे विश्व की समस्या है, अतः इसका समाधान भी सभी को मिलजुलकर करना होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो और अपने दायित्व का निर्वाह करे, तो स्थित में पर्याप्त सुधार हो सकता है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः' की सर्वोदय भावना तथा 'जिओ और जीने दो' की मानवतावादी अवधारणा फलीभूत होने के लिए विश्व में पर्यावरण का संरक्षण अपरिहार्य है। ❑

पता : 117 आदिलनगर, विकासनगर
लखनऊ 226022
दूरभाष 09956087585

(मिशन शक्ति)

आधी आबादी को पूरे अधिकार

(नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन)

रामफेर
पुस्तकालयाध्यक्ष,
केन्द्रीय पुस्तकालय, पशुपालन विभाग

भारत सरकार और राज्य सरकारों ने महिलाओं की उद्यमी बनाने के लिए 2011 में विश्वबैंक के समर्थन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविक मिशन दीनदयाल अत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू किया है। जिसमें अब तक पॉच करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और उनके उच्च महासंघों से जोड़ा गया है। इन समूहों ने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 30 अरब डालर का ऋण उठाया है। ऐसी स्थिति में रोजगार के नए अवसर पैदा करना आज की जरूरत है। महिलाओं में उद्यमशीलता का विकास कर भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। वहीं समाज को लैंगिक रूप से बराबरी वाले समाज में परिणत करके दुनियॉ के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके।

हमारे सभ्य समाज का लिंगानुपातः नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-पॉच 2020-21 में भी उत्तर प्रदेश (यूपी) अव्वल आया है। प्रदेश के लिंगानुपात में प्रभावी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक 2015-2016 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 की तुलना में सर्वे पॉच में प्रति एक हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या 995 से बढ़कर 1017 हो गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि

सर्वे-5 की यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा महिला सशक्तीकरण सहित जीवन की सुगमता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सफलता का उदाहरण है।

महिलाओं को स्वस्थ्य एवं सुन्दर जीवन-जीने के लिए सरकार आए दिन विकास परक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अधिकॉश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन। इससे हम और हमारी समानता की सहकारिता में चार चॉद लगेंगे। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महोबा जिले से उज्जवल योजना 20 की शुरूआत की है। इस दौरान राज्य के मुख्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेशन सौंपे। कार्यक्रम में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए मोदी ने योजना के पॉच लाभार्थियों से बातचीत की। उज्ज्वला 20 योजना के तहत पहला गैस सिलेण्डर और चूल्हा फ्री में दिया गया। साथ ही यह भी घोषणा कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को यह कनेक्शन निःशुल्क दिया जाएगा।

उज्ज्वला 20 योजना में एक लाख रोज महिलाओं को गैसे कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों को अब एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। मोदी ने कहा कि आजादी के 75 वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते साढ़े सात दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ स्थितियॉ ऐसी थी जिनको कई दशकों पहले बदला जा सकता था। उन्होंने कहाकि उज्जवला योजना से महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आया समय की बचत हुई है। हॉ थोड़ा महॅगाई के कारण सेलेण्डर खरीदना मुश्किल हो रहा है। मानव जीवन के विकास में एक ओर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पूरे देश में रसोई गैस से जुड़े मूल भूत ढ़ॉचे का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते छह साल में देश भर में 11000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केन्द्र भी खोले गये हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2000 से अधिक वितरण केन्द्र खोले गये हैं। आज इनकी संख्या 4000 से अधिक हो गयी है। उज्जवला योजना के तहत केवल उत्तर प्रदेश में 1.47 करोड़ कनेक्शन बॉटे गये हैं।

जनसूचना विभाग द्वारा जारी ऑकड़े और सरकारी विज्ञापनों व प्रचार तंत्र की मानें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.50 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसके साथ ही प्रदेश में 10 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा। एक करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तरगत देश में 1.75 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेशन देने का काम किया है। इसके साथ ही दीपावली व होली में निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रूपया 300 की सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया। देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीब आवास के अन्तरगत प्रदेश के 55.20 लाख आवास उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री मंत्री तथा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के अन्तरगत 66.59 लाख जरूरतमन्द गरीब लाभार्थियों (महिलाओं) को स्वामित्व प्रमाण-पत्र यानी घरौनी उपलब्ध करायी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तरगत प्रदेश में 2 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई।

प्रधानमंत्री मातृत्व बंदना योजना के माध्यम से 54.44 लाख महिलाएं लाभान्वित किया है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पुरानी योजना ऑगनवाड़ी केन्द्रों से जरूरत मन्द लोगों के लिए आवश्यक सामग्री वितरण 1.77 करोड़ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड गेहूँ, दलिया, चावल, चना, दाल एवं खाद्य तेल, नमक आदि। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण महिलाओं के लिए अतिरिक्त 4.500 पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तरगत 1.90 करोड़ बेटियॉ लाभान्वित हुई।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुसार 3.10 लाख जोडों का विवाह कराया गया। प्रदेश में हर घर नल योजना के तहत 1.72 करोड़ से अधिक परिवारों तक स्वच्छ जल पहुँचाया गया। बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 16.24 लाख बेटियॉ लाभान्वित हुई। बीसी सखी योजना 58000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की नियुक्ति की गयी। रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा-सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 लाख बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को सजा दिलाने में देश में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पॉक्सों एक्ट के अन्तरगत 7320 अभियोगों में दोशियों को सजा दिलाई गयी। सख्त अभियोजन महिला एवं नाबालिगों के विरूद्ध अपराधों के 19415 प्रकारणों में सजा हुई। 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय की स्थापना की गयी।

महिला हेल्पलाइन 1090 में 99.55 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया। मिशन शक्ति अभियान तीन चरणों में महिला हेल्प डेस्क द्वारा 1165461 शिकायतों का निस्तारण हुआ। महिला पीएसी बटालियन बदायूँ लखनऊ, गोरखपुर में गठन किया गया। सभी 1584 थानों में मिशन-शक्ति मोबाइल एवं 10417 महिला पुलिस, बीट का गठन किया गया। 20740 महिला बीट पुलिस कर्मियों की नियुक्ति। 18 परिक्षेत्र मुख्यालयों पर महिला साइबर सेल का गठन किया गया। प्रदेश के हर जनपद में दूरस्थ तहसीलों में रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों/महिला थानों का गठन तेजी के साथ किया गया ताकि अपराधों में कमी आ सके। महिला श्रम शक्ति 6 वर्शों में तेजी के साथ बढ़ी है। अगर ऑकड़ों पर ध्यान दे तो महिलाशक्ति वर्ष 2017-2018 में 14.20 प्रतिशत, से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में हुई 32.10 प्रतिशत यानी दो गुनी हो गयी। महिलाओं और गरीबों तथा आम जन की सहायता हेतु 1090 वूमेन पॉवर लाइन, 102 गभर्ववती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 वुमेन हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 101 अग्निशमन सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि। की जोर दार शुरूआत की गयी ताकि जरूरत मन्द महिलाओं को समय से जरूरत पूरी की जा सके।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली महिलाओं ने खेती में पुरूष किसानों को पीछे छोड़ दिया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत मिली ट्रेनिंग की बदौलत पूरे प्रदेश में 70 प्रतिशत महिलाएं खेती में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत गॉवों की महिला स्वयं सहायता समूह खाद्य सुरक्षा समूह महिलाओं को आधुनिक खेती के साथ आत्मनिर्भर बना रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने का दूसरा चरण एक नवंबर से शुरू होकर 23 दिसम्बर तक चलेगा।

इससे महिलाओं को आधुनिक कृषि उपकारणों को चलाने समेत अन्य आधुनिक चीजें की ट्रेनिंग और जानकारी दी जाएगी। गॉवों में जैविक खेती हो या मषरूम उत्पादन रेशम कीट पालन या फिर औषधीय सुगंधित पौधों की खेती इससे पूरे प्रदेश में रहने वाले महिला किसानों को बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाएगी। इसके अलावा बकरी मुर्गी और मधुमक्खी पालन में भी महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जीवन विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से अपनी योजनाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का बजट रखा गया है।

5 शुरू होगा दूसरा चरण मिशन शक्ति अभियान के तहत दूसरे चरण में कृषि विभाग महिला किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण चलाने की तकनीकी सिखाएगी। दूसरे चरण का आयोजन 5 से 19 नवम्बर तक चलेगा। इससे किसान पाठशालाओं

में जरिए चार दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल आयोजित की जाएंगी। किसान दिवस पर सम्मानति होंगी महिला कृषक। प्रदेश सरकार सभी जिलों की महिला कृषकों को हौंसला बढ़ाने के लिए दिसम्बर में किसान दिवस पर राज्य जनपद विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उनकों सम्मानित किया जाएगा।

महिलाओं से राजनीतिक नेतृत्व तलाशने और राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई देशों ने बीते कुछ दशकों में जेंडर कोटा शुरू किया है। कई नियम भी बनाएं हैं। सुधार भी लागू किया है। आज सकारात्मक परिणाम उन्हें मिलने लगे हैं। एक सर्वे के अनुसार कुछ देशों में लाए गये सुधारों पर एक नजर डाली, जहॉ महिला सॉसदों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। इनका विश्लेषण कुछ इस प्रकार हैं-

रवॉडा- गृह युद्ध से उबरा दुनियॉ में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व कुल सॉसद संख्या 80 महिला सॉसद संख्या 49 गृह युद्ध में 8 लाख नागरिकों की हत्या के बाद 2008 में रवॉडा ने दुनियॉ की पहली महिला प्रभुत्व वाली संसद बनाई। अनुमान है कि गृहयुद्ध में 5 लाख महिलाओं से दुष्कर्म हुए लाखों की हत्या की गयी। 1.35 करोड़ आबादी वाले इस देश ने अपनी महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर ज्यादा जोर दिया। महिलाओं के लिए संसद में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की थी।

क्यूबा- धीरे-धीरे महिला नेतृत्व को बढ़ाया। कुल सांसद संख्या 586 महिला सांसद संख्या 313 साल 1999 में क्यूबा की संसद में 27 प्रतिशत सॉसद महिलाएं थी। आज उनकी संख्या 53 प्रतिशत यानी दो गुनी हो चुकी है। यह सुधार धीरे-धीरे संभव हो पाया है।

निकारागुआ- वर्ष-2000 में महिला कोटा लागू किया गया। कुल सांसद संख्या 91, महिला सांसद संख्या-47, साल 2000 से नए चुनाव कानूनों के जरिए यहॉ जेंडर कोटा लागू किया गया। 1999 में जहॉ 9.7 प्रतिशत सांसद महिलाएं थीं, वहीं साल 2022 में 51.7 प्रतिशत हो गयी।

न्यूजीलैण्ड- यहॉ पर महिलाओं के प्रति 10 साल में आए सुधार। कुल सांसद संख्या-119, महिला सांसद संख्या-60। साल-2013 में लेबर पार्टी ने पार्टी के संसदीय कॉक्स में 50 प्रतिशत महिलाओं को लाने का निर्णय लिया। आज कुल 119 सॉसदों में 60 महिला सांसद हैं।

मैक्सिकों- कडे नियम लागू किए- कुल सॉसद संख्या 500, महिला सॉसद संख्या- 250। यहॉ 90 के दशक में 30 और वर्ष 2000 में 40 प्रतिशत जेंडर कोटा कानून बनाया गया। सरकार ने महिला उम्मीदवारों को लेकर कड़े नियम भी बनाए। उदाहरण के लिए राजनीतिक दलों को पाबंद किया गया कि जहॉ वे हार सकते हैं, उन जिलों में महिला प्रत्याशी न उतारें। परिणाम 3 दशक पहले 300 में महज 21 यानी 7 प्रतिशत महिला सॉसदों वाले मैक्सिकों में आज 50 प्रतिशत से अधिक महिला सॉसद हैं।

यूएई- 50 प्रतिशत कोटा बराबर हॉसिल है। कुल सॉसद संख्य-40, महिला सॉसद-20 हैं। यहॉ फेडरल नेशनल काउसिंल के लिए 2019 में हुए चुनाव में 20 सदस्यों में से महिलाएं जीती थी। उसी वर्ष यहॉ के राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत पहुॅचाने के लिए प्रस्ताव पारित कराया गया था। दिसम्बर 2022 तक 40 सदस्यों की इस काउंसिल में 20 यानी पचास प्रतिशत महिला सांसद हैं।

साल 1997 में केवल पॉच देशों स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैण्ड में 30 प्रतिशत से अधिक सांसद महिलाएं थीं। लेकिन अब यह संख्या 63 हो चुकी है यानी दो गुनी से ज्यादा हो गयी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सिर्फ 6 देशों की संसद के किसी एक सदन या निचले सदन में 50 प्रतिशत अधिक सांसद महिलाएं हैं। अधिकॉश देशों के जिम्मेदार लोगों को इस संबन्ध में ध्यान देना चाहिए कि आज भी हम वहीं के वहीं क्यों हैं। अपने एक भाग को इतना कमजोर क्यों बना कर रखा है। जब हमारा

एक भाग कमजोर रहेगा तो समान विकास कैसे संभव है?

23 देशों में 40 प्रतिशत से अधिक सांसद महिलाएं हैं। 22 देश ऐसे बचे हैं जहॉ महिला सांसदों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है। कई अहम देशों जैसे भारत, ब्राजील, रूस आदि के प्रतिशत वैश्विक औसत से कहीं काफी पीछे हैं। दुनियॉ में कानूनी तौर पर महिलाओं को संसद में आरक्षण देने वाला पहला देश अर्जेंटीना है। उसने वर्ष-1991 में कुल प्रत्याशियों में 30 प्रतिशत महिलाएं होना अनिवार्य किया। 1991 में 5.4 प्रतिशत से बढ़कर इस इस समय वहॉ की संसद में 44.75 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं। आज रवॉडा में 61.3 प्रतिशत, क्यूबा में 53.4 प्रतिशत, निकारगुआ में 51. 7 प्रतिशत, न्यूजीलैण्ड 50.4 प्रतिशत, मैक्सिको में 50 प्रतिशत, यूएई में 50 प्रतिशत महिला सांसदों की संख्या है।

भारत में आज भी 15 से 20 प्रतिशत ही महिला सांसदों का ही अनुमान रहा है। उसमें में इस जाति प्रधान देश में यह सोंचना होगा कि महिला कोटा पूरा-का पूरा पचास प्रतिशत हो किन्तु जाति के ऑकड़ों के अनुसार उसमें भी महिला और पुरूषों में समानता से हिस्सेदारी हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का भी पूरा ध्यान देकर महिला-पुरूष के कोटे को पूरा किया जाना चाहिए। तभी बराबर विकास संभव है। यह स्थिति काफी खेद जनक है। कि इसे इमानदारी से आरक्षित कर पूरा नहीं किया जा रहा है। यहॉ के जिम्मेदार लोगों को अपनी आधी आबादी और दबे-कुचले लोगों यानी महिलाओं व शूद्रों तथा अति शूद्रों को भी पूरे अधिकार देने के लिए आगे आएं। ताकि सबका समान साथ, सबका समान विश्वास, सबका समान विकास संभव हो सके। हर जाति समूह की महिलाएं अधिकार के साथ ही साथ मान-सम्मान, स्वाभिमान, रक्षा-सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन, संरक्षण, आत्मविश्वास आदि बराबर मिल सकें। पुरूषों की भॉति महिलाएं भी अपना सिर उठाकर जीवन जी सकें। ❑

पता : ग्राम जीगों पोस्ट तिलेण्डा,
जिला रायबरेली,
उत्तर प्रदेश-229301
मो0 : 9956696645

आदमी

- राजेश पाठक

पता : राजेश पाठक
C/O
जिला सांख्यिकी कार्यालय,
गिरिडीह,
झारखंड-815301
मो नं 9113150917

अंधेरी राह में
एक जुबान वाला
अकेला आदमी
जब भयभीत होता है
तो स्वयं से
बोलना शुरू कर देता है
वह भी जोर - जोर से
और बना लेता है
अपनी आवाज को
एक निडर व साहसी साथी
फिर दिख जाती है राह
बिना जले दीया - बाती
जीवन में अंधियारा
गहन रात से पैदा हो
या पैदा हो
व्यवस्थाओं के चरमराने से
बोलना लाजिमी होता है
जो बोले वही आदमी होता है।

❑❑❑

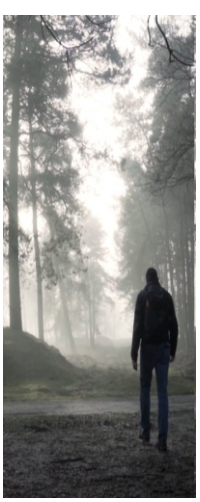

अभीप्सित

— अयोध्या प्रसाद

एक अमीर आदमी
बड़ी सी गाड़ी में बैठकर
शहर के एक मंहगे
अस्पताल में पहुंचा !
डाक्टर ने पहले समस्या
फिर हालचाल पूछा।
अमीर आदमी बोला-
नींद नहीं आती है !
भरपूर सुविधाओं के बावजूद
सो नहीं पाता हूं।
रातभर जागते हुए
करवटें बदलता हूं !
पुस्तकों, टी0वी0
और मोबाइल से भी,
उकता गया हूं।
नींद ला पाने में
कोई भी सहायक नहीं।
डाक्टर साहब !
करबद्ध विनती है आपसे,
कुछ ऐसा जतन कीजिए !
पैसा कितना भी लग जाए,
बस, रोज, रात में नींद आ जाए !

डाक्टर ने अमीर आदमी से
काफी देर तक
ढेर सारे सवाल किए।
केस हिस्ट्री तैयार की !
कुछ दवाएं लिख दीं।
जीवन शैली और
सोच के बारे में
कुछ सुझाव, निर्देश दिया।
और मोटी फीस जमा करवाकर,
पर्चा, उसके हवाले किया।

डाक्टर के केबिन से बाहर आकर
अमीर आदमी लगा बड़बड़ाने।
... धन, संपत्ति, मंहगी गाड़ी,
आखिर किस काम के !
....जब दिन में चौन और,
रात में लाले नींद के, आराम के !

घरेलू ड्राइवर
अस्पताल के पर्चे पर लिखी
सभी दवाइयां
केमिस्ट से खरीद लाया !
और अमीर को गाड़ी में बैठाकर
कोठी पर ले आया।

अमीर आदमी ने
पास खड़े ड्राइवर को,
उसके जीवन के बारे में
बस, यूं ही कुरेदा था।

ड्राइवर पहले तो सकुचाया
फिर धीरे से मुस्कराया
और जरा थमकर बोला-
मैं ठहरा गरीब आदमी !
सुबह से शाम तक
आपकी सेवा में रहता हूं !
आपकी दी हुई तनख्वाह को
गृहस्थी चलाने में लगाता हूं।

क्रमशः....

पत्नी भी, पास के स्कूल में,
आया की नौकरी करती है।
दिन भर परिश्रम
करने के साथ ही
गृहस्थी में रंग भरती है।

आप और स्कूल की कृपा से
जिंदगी संवर रही है।
आप सब की बदौलत ही
गृहस्थी चल रही है।

दिनभर का थका हारा मैं,
जब घर जाता हूं।
जो भी रूखा सूखा मिलता है,
खा पीकर सो जाता हूं।
कहीं भी पड़कर सो जाऊं,
नींद बहुत अच्छी आती है !
बड़े ध्यान से
उसकी बातें सुनते सुनते
अमीर आदमी ने

स्नेह जताते हुए
ड्राइवर की पीठ पर
हौले से एक धौल जमाई।
बोला- अरे पगले !
नींद के मामले में
तू तो बहुत अमीर है।
इतनी जद्दोजहद के बाद भी
इतना खुश रहता है, और
रात में, नींदभर सो लेता है।

....नींद, बड़ी नेमत है।
वो जिसके पास है,
वो भी अमीर है।
मुझको देख !
मैं नींद के लिए
कहां कहां भटक रहा हूं।
पैसे खर्च कर भी
नींद नहीं खरीद सक रहा हूं।

ड्राइवर अमीर का मुंह
ताक रहा था।
अमीर ड्राइवर का मुंह
ताक रहा था।
दोनों अपनी किस्मत को
दोष दे रहे थे।
एक गरीबी पर
मन मसोस रहा था।
दूसरा अनिद्रा को लेकर
खुद को कोस रहा था।

❑❑❑

पता : म0नं0–551घ/506, नन्दनगर, (निकट जय प्रकाश नगर)
आलमबाग, लखनऊ–226005 मो0– 8318926738

आम है बेहद खास

— प्रदीप कुमार गुप्ता

गर्मी का मौसम चरम पर है। ऐसे समय में जब गर्मी से सभी परेशान-हैरान हैं तथा बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बाजार में दिखने लगे है तरह-तरह के आम। जी हां आम, वहीं आम जो फलों का राजा भी कहा जाता है। आम एक ऐसा फल है जो अपने नाम के अनुरूप आम (साधारण) नहीं बल्कि बेहद खास है। इसे रसाल, सौरभ, फलश्रेष्ठ आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारे देश के अलग अलग भागों में आम की अलग-अलग अनेक किस्में पैदा होती हैं। वैसे तो यह गर्मी का फल है, लेकिन आम की कुछ प्रजातियां बारहमासी भी होती हैं। लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी, बनारस का लंगड़ा, मालदा का मलदहिया, रत्नागिरि का अलफांसो, कर्नाटक का बादामी, गुजरात का केसर, लखनऊ सफेदा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रतौल आम के अलावा चौसा, तोतापरी, हिमसागर, हापुस, आम्रपाली, मल्लिका, हुस्नआरा, सहित आम की देश में 1000 से भी ज्यादा वैरायटी उत्पादित होती है। दशहरी, चौसा आदि आम की सस्ती, सर्वसुलभ और लोकप्रिय प्रजातियां है। वही विगत कुछ वर्षों में विकसित आम की नवीन मियाजाकी प्रजाति के आम की कीमत ढाई से तीन लाख रूपए प्रति किलो होती है।

आम एक रसीला, मीठा और पौष्टिक फल है। हालांकि कच्चा आम खट्टा होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सहित सूक्ष्म पोषक तत्व फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम से अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। भारत में आम के रस को परतों में जमा कर अमावट बनाया जाता है, जिसे लम्बे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। आम के अचार की तो बात ही निराली होती है। खट्टा और चटपटे मसालों से सना आम का अचार सभी उम्र के लोगों की पसंद होता है। आम की चटनी और आम का पना स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है। आम की खटाई बाजार में आमचूर के नाम से मिलती है, जो अनेक व्यंजनों की जान होती है। इसके अतिरिक्त आम का मुरब्बा भी बनता है। कच्चे आम को गुड़ के साथ पकाकर गुड़म्बा बनाया जाता है, जिसका स्वाद अलबेला होता है। गर्मी के मौसम में आम के तरह-तरह के शेक भी लोगों को पसंद आते हैं।

हिन्दू धर्म में आम की लकड़ी का प्रयोग पूजा में हवन करने में भी किया जाता है। आम की पत्तियां भी पवित्र होती हैं और पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जाता रहा है। अनुष्ठानों और पूजा के दौरान आम के पत्तों का प्रयोग 'पूर्ण कुम्भ' को पूरा करने हेतु

किया जाता है। पूजा में प्रयुक्त होने वाला घड़ा धरती माता का, जल जीवन के स्रोत का, नारियल दिव्य चेतना का तथा आम के पत्ते जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्पूर्ण रूप से 'पूर्ण कुम्भ' देवी लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। हिन्दू धर्म में आम को उर्वरता का प्रतीक भी माना गया है। उत्सवों आदि में तोरण तथा वंदनवार के रूप में भी आम के पत्तों का प्रयोग होता है। आम की लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं।

बगीचे में आम के पेड़ में टिकोरा लगने से लेकर बाजार में आम के बिकने और हमारे मुंह में अपना स्वाद बिखेरने तक की यात्रा बहुत दिलचस्प और मजेदार है। मैं आपको आम की बहुत बड़ी यात्रा बहुत छोटे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा और महसूस कीजिएगा इसके पीछे की पूरी मेहनत। तो चलिए शुरू करते है। हम आज बाजार से जो आम खरीद कर लाते हैं, बहुत संभव है कि उसका पेड़ लगाने वाला इंसान इस दुनिया में न हो। किसी ने पेड़ लगाया था और उसे अपने पसीने से सोचा था, तब आज हम आम का रसीला स्वाद ले पा रहे हैं। सालों लग जाते है एक पेड़ को बड़ा होने में। एक नवजात शिशु को बड़ा करने में जितनी मेहनत, मोहब्बत, शिद्दत और समय लगता है, एक पौधे से वृक्ष बनाने में उससे कम मेहनत और समय नहीं लगता।

जिस प्रकार एक नन्हें शिशु को बीमारियों से बचाना पड़ता है, उसी प्रकार पौधे को भी तरह-तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। जानवर पौधों को खा न जाए, इसके लिए किसान रात-रात भर जाग कर बगीचे की रखवाली करते हैं। कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी होते हैं, जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पेड़ो को ही काट देते हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने योग्य भी पेड़ को बनाना होता है। कभी आंधी आ जाती है, कभी बहुत बारिश हो जाती है। आम के बौर झड़ जाते हैं, फल टूट कर गिर जाते हैं। कभी कोई बीमारी भी लग जाती है, जिससे फलों का विकास रूक जाता है। आम की जितनी खास किस्म होती है, उतना ही उस पर बड़े खतरे भी होते हैं। इतने सारे खतरों से आम के टिकोरों को बचाते हुए पूर्ण आम के रूप में विकसित करने और आम को बाजार तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। क्या हम और आप?

यह सारी मेहनत एक किसान करता है। एक किसान या बागवान दिन-रात पेड़ों की रखवाली करते हुए बिताता है। न सोने की परवाह, न खाने की चिंता। तब कहीं जाकर बाजार आम से गुलजार होते हैं। आम के पेड़ लगाए किसी और ने थे। आज उसके फल खाता कोई और है। सदियों से यही दुनिया की रीत है। होना भी यही चाहिए। जिस प्रकार हमारे माता-पिता, बुजुर्गों ने वृक्ष लगाए और आज उनपर लगने वाले फल हमारी पीढ़ी को लाभान्वित कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, नदियों-तालाबों-पोखरों-झीलों सहित पानी के सभी

स्रोतों, हवा, धरती को प्रदूषण से बचाना चाहिए।

गर्मी के मौसम की शुरूआत से पहले बसंत ऋतु में आम के पेड़ों में बौर आते हैं। उस समय पेड़ के नीचे मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल जाती है। आम के पीछे की इस मेहनत को देखना और महसूस करना हो तो इस मौसम में आम के बगीचों की ओर रूख कीजिए। आपको कोई न कोई बागवान पेड़ों की रखवाली करता हुआ दिख जाएगा। भीषण गर्मी हो या लू चले या कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन रखवाली तो करनी ही है। जिन लोगों के पास एक या दो पेड़ ही होते हैं, वे अपने पेड़ों में लगने वाले छोटे-छोटे आमों को बचाने के लिए चद्दर या पुरानी मच्छरदानी से उसे ढकने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। कंटीले तारों या कांटेदार लकड़ी से घेरकर भी आम के टिकोरों को बचाने की कोशिश होती है।

जब एक बार आम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तब उन्हें बहुत सलीके से और कोमलता से पैक कर मण्डी तक पहुंचाया जाता है। जहां से वह देश-विदेश में अलग-अलग स्थानों पर बिकने के लिए जाता है। हम आम खरीदते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि जो आम हम खा रहे है, वह कहां से आया है, किसके बगीचे का है, उसके पीछे कितनी मेहनत और तपस्या की गयी है आदि-आदि। हमें तो बस आम और उसके स्वाद से मतलब होता है। यदि हम आम के पीछे की पूरी यात्रा के बारे में सोचें तो हमारा स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। देश के अलग-अलग भागों में मानसून के पहले प्री-मानसून की वर्षा होती है। इसे हमारे उत्तर प्रदेश में आम्र वर्षा भी कहते हैं। यह वर्षा आम को पकने में और उसमें मिठास लाने में बहुत मदद करती है। आम्र वर्षा के बाद बाजार में आने वाले आम का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है।

एक किसान या बागवान जितनी विषम परिस्थितियों में कार्य कर अपनी फसल को हम तक पहुंचाता है, हमें उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता और जीवनदाता हैं। वह अपने खेतों-बगीचों में जी-तोड़ मेहनत करते है, तभी हम और हमारा परिवार अपने भोजन के लिए निश्चिन्त रहता है। तभी हम अपना समय अपने और अपने परिवार के विकास में दे पाते हैं।

यद्यपि यह कहानी आम की है, तथापि ध्यान से सोचें तो यही कहानी तो गेहूं की भी है, यही कहानी धान, सरसों, अमरूद, पपीता या अन्य फसलों या फलों की भी है। आजकल फूलों की खेती भी अच्छी आमदनी का माध्यम है। फसल चाहे जो हो, मेहनत के बिना अच्छी फसल नहीं होती। हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को बेकार नहीं होने देना चाहिए। बच्चों में शुरूआत से ही संस्कार डालने चाहिए कि वे अन्न को बर्बाद न करें और उतना ही भोजन लें जितना खा पाए। ज्यादा लालच न करें और मिल-बांट कर खाएं। बच्चों को रोटी की यात्रा के बारे में भी बताया जाना चाहिए। उन्हें किसानों की मेहनत और त्याग के बारे में बताया जाना चाहिए।

तो अगली बार जब भी आप आम या कहें कि 'बेहद खास आम' खरीदें तो जरूर सोंचे आम की यात्रा के बारे में। आपके लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आम का फल पता नहीं कितनी लम्बी यात्रा कर आपके पास आया है। ❑

फीचर लेखक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
लखनऊ, उ0प्र0
मोबाइल नं0 : 7376795189

अकेले और झुरमुट के पेड़

अकेले पेड़ों में
मस्ती कम है
झुरमुट के पेड़ों से
जबकि सबके हिस्से
एक ही मौसम है

नम और तेज हवा
एक-सी खेल रही है सबसे

झुरमुट के पेड़
एक पर एक गिरते हैं
और अपनी खड़-खड़ की भाषा में
खिलखिलाते हैं
शोर मचाते हैं

अकेले पेड़ भी
अपनी मस्ती दिखाते हैं
मगर झुरमुट के पेड़ों की तरह
वे हरी मौजें उठा नहीं पाते हैं
गिरा नहीं पाते हैं
नीले जल में
नीली लहरों-सी।

❑❑❑

- केशव शरण

तप

इस मौसम में
आदमी तप जाता है
लेकिन यह तप में नहीं आता
तप में आता है
श्रम और सेवा का काम
जो इस मौसम में भी
करता जा रहा है कोई

सबसे मीठा तरबूज
स्वयं समर्पित है उसको
सबसे मीठा आम।

❑❑❑

पता : एस 2/631-3 के के कुंज विहार कॉलोनी, सेंट्रल जेल रोड,
सिकरौल, वाराणसी 221002
मो0 : 9580619244, 9415295137

'चुनावी वादों कि बौछार, कौन जिम्मेदार'

- हरी राम यादव फैजाबादी
भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्र लेखक

हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां गांव से लेकर देश चलाने तक मतदान के माध्यम से चुने गये लोग शासन की बागडोर संभालते हैं। एक बार चुनाव जीत कर जनप्रतिनिधि पांच वर्ष तक शासन की मुखियागीरी/प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके बाद फिर चुनाव होते हैं। देश में अलग अलग स्तर की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग चुनाव चलते ही रहते हैं । कभी ग्राम प्रधान , कभी ब्लाक प्रमुख , कभी विधायक तो कभी सांसद का चुनाव । देश में सभी स्तर के चुनावों को सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है । यह एक स्वायत्त संस्था है जो कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है।

सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को अपनी मंशा बताते हैं कि यदि मेरा दल विजयी होता है तो मैं अगले पांच साल में अमुक कामों को करूंगा। लोकसभा के इस चुनाव में कोई इस घोषणा पत्र को गारंटी कह रहा है तो कोई न्याय पत्र कह रहा है । कोई दल कह रहा है कि मैं इतने लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, फ्री राशन दूंगा, इतनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगा तो कोई दल किसानों को मुफ्त बिजली, पानी और कर्ज माफ और युवाओं को सरकारी नौकरियां, रोजगार करने वाले युवाओं को कम व्याज दर पर लोन देने की बात कर रहा है। दलों के प्रत्याशी और उनके कुछ शागिर्द लोग गांव गांव में घूमकर जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी स्थानीय आवश्यकता जैसे संपर्क मार्ग, नाली, विद्युत व्यवस्था आदि को ठीक करवाने या बनवाने की बात कर रहे हैं।

अगर आप पिछले चुनावों में किए गए वादों को देखें तो पाएंगे कि आधे वादे भी पूरे नहीं हुए। कुछ दिनों पहले पांच राज्यों में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में जगह जगह वादे न पूरे करने वाले जनप्रतिनिधियों को जनता के भारी विरोध का सामना करना पडा था। जनता सीधे तौर पर कह रही थी कि-'पहले जो कहा था वह ही पूरा नहीं किया। अब किस मुंह से वोट मांगने आये हो। कहीं कहीं तो गांव वालों ने बाकायदा बोर्ड भी लगाया था' जब तक रोड नहीं, तब तक वोट नहीं'। यही हाल वर्तमान लोकसभा चुनाव में भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किए कई माननीयों को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। कई गाँवों में लोगों ने पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करने का एलान कर दिया है।

आखिर राजनैतिक दल/जनप्रतिनिधि ऐसे लम्बे चौड़े वादे क्यों करते हैं जो पूरा ही न हो सके? क्या यह घोषणाएं सिर्फ मुगालते में रखकर वोट लेने के लिए की जाती हैं ? राजनैतिक दलों /जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अपने किए गए वादों को पूरा करें? क्या जनता के प्रति उनकी कोई जबावदेही नहीं है? शायद नहीं। क्या यह जनता से जनप्रतिनिधियों और दलों की धोखाधड़ी नहीं है? अन्य प्रदेशों में भी चुनाव जीतने के बाद जिन दलों ने कुछ घोषणाओं को लागू भी किया उनमें जानबूझकर इतने नियम लगा दिए हैं कि कम से कम लोगों को उसका लाभ मिले। आखिर राजनीतिक दल अपने चुनाव के घोषणापत्र में इन नियमों को स्पष्ट क्यों नहीं करते कि यह लाभ केवल उनको मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जिनकी आमदनी इतने हजार रूपये है।

इन घोषणाओं के भी अपनी सुविधानुसार नाम हैं जैसे जन कल्याण, मुफ्त की रेवड़ी आदि । इस मुफ्त प्रथा की शुरूआत दक्षिण भारत से हुई । दक्षिण भारत में सुश्री जयललिता से लेकर तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने हर चुनाव में फ्री को अपना अचूक हथियार बना लिया था वहाँ साड़ी, टेलीविजन, मिक्सर तथा कई अन्य घरेलु वस्तुएँ मतदाताओं को

अपने पक्ष में करने के लिए बांटी जाती थीं और यह जल्दी ही यह मुफ्त सिस्टम दक्षिण से चलकर उत्तर भारत तक आ पहुंचा और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में मुफ्त का यह सिलसिला जोरों से चल पड़ा है। हर राजनीतिक दल ने इसे अपना हथियार बना लिया है। सबने अपनी अपनी तरह से मुफ्त देने के वादे करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव के आठ दस महीने पहले ही सत्ता में बैठा दल तमाम फ्री योजनाओं की झड़ी लगा देता है और विपक्ष में बैठे लोग संसाधनों के अभाव में तरह तरह कि लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा अपने घोषणा पत्र में करते हैं। अभी इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमारे समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ है वह है लाभार्थी वर्ग। यह लाभार्थी वर्ग इसी तरह की योजनाओं की उपज है। इससे पहले यह शब्द प्रचलन में नहीं था। इस तरह की फ्री की योजनाओं से देश के करदाता पर अतिरिक्त भार पड़ता है और विकास की गति अवरूद्ध होती है। कर का जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए वह फ्री की योजनाओं को चलाने में चला जाता है।

सरकार को चाहिए कि इन बेलगाम घोषणाओं को रोकने के लिए कानून का निर्माण करे। हर दल के लिए यह अनिवार्य बनाया जाए कि वह अपनी घोषणाओं को शपथपत्र के साथ उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में जमा करवाये। जो दल चुनाव जीतता है और सरकार बनाता है, वह दल अपने घोषणापत्र की समस्त घोषणाओं को पांच साल में पूरा करें। अगर दल अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करता या मुकरता है तो उस दल को आजीवन चुनाव लडने पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार दल के अध्यक्ष को जनता से धोखाधड़ी करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आखिर वादों को पूरा न करना देश की 140 करोड़ जनता से धोखाधड़ी ही तो है?

क्या देश के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग इस तरह का कानून बनाकर जनता के साथ जनप्रतिनिधि कहलाने वाले लोगों या दलों की धोखाधड़ी को रोकने में दरियादिली दिखाएंगे? क्या जो दल अपने को सच्चा और जनता का सबसे बड़ा हितैषी कहते घूम रहे हैं वे आगे आकर राजनीति की इस झूठी धारा को सही दिशा में मोड़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे? इस तरह की झूठी घोषणाओं से समाज अपने को ठगा हुआ महसूस करता है और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन चुनाव के प्रति लोगों में उदासीनता का भाव पैदा होता जा रहा है और मत प्रतिशत में कमी आ रही है । मत प्रतिशत का गिरता स्तर प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ❑

पता : सतगुरू पुरम कालोनी, चरन भट्ठा रोड,
निकट एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ
मो. -7087815074

'गर्मी के आतप से अकुलाए'

- हरी राम यादव

सूरज बरसाये आग गगन से,
कोई कुछ भी समझ न पाए।
हरी धरती का हर जीव जन्तु,
गर्मी के आतप से अकुलाए ।
मानव कोसे पी पीकर पानी,
सब दोष भगवान का बताए।

काट पेड़ को घर बनवाया,
ताल तलैया सब दिया पाट।
बाग बगीचा का कर उजाड़,
सिक्स लेन बना दिया बाट ।
सोचा मानव अपने मन में,
क्या गजब का बना ठाट।

चार कदम न पैदल चलता,
चलता लेकर अकेला कार ।
जलता ईंधन बढ़ता प्रदूषण,
ओजोन परत हो रही तार तार।
स्तर अभी तो बावन पहुंचा,
आगे पहुंचेगी साठ के पार ।

छोड़ कार पकड़ साइकिल,
बस का कर तुम उपयोग।
जितने प्राणी हैं हर घर में,
उतने पेड़ का सब करो योग।
धरती पर छायेगी जब हरियाली,
तब हट जायेगा आतप योग।।

❑

वेदना में संगीत बने कविता...

● लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

कभी क्रांति के गीत लिखे कविता
कभी देश, समाज के दिशा बोध की-
नई रीति बने कविता
आडंबर और कुरीतियों पर प्रहार करे कविता
दर्द और वेदना में संगीत बने कविता
प्रेमी को दिल की दास्तान-
सुनाने के लिए मीत होती कविता...

दुख, पीड़ा, आक्रोश, शोषण और चिंतन से-
उपजती है उर में कविता
दिन-रात एक कर लिखी जाती कविता
अक्षर-अक्षर, शब्द-शब्द, इक कड़ी की जस-
संजोई-पिरोई जाती कविता
तपते दिवस में ठंडी-सी बयार होती कविता
सबके जीवन को सभ्यता व संस्कार देती कविता
हमारी जिंदगी को खूबसूरत और-
सुंदर-सा साकार करे कविता...

युगों-युगों का सार्थक वृतांत होती कविता
एक थके-हारे पथिक के लिए क्लांत होती कविता
व्यथित मन को शांति का एहसास कराती कविता
शिक्षा को व्यवस्थित आकार देती कविता...

निराशा में आशा का संचार देती कविता
हमें दुखों से खुशियों का एहसास कराती कविता
प्रेमी का प्रेमिका को पुकार कविता
माँ का अपने बच्चे को गोदी में दुलार है कविता
सैनिकों का देश के प्राण न्यौछावर है कविता
पिता को उसका परिवार है कविता
जीवन में कुछ दिन के आनंद का
इक प्यारा सा त्योहार है कविता
खुशियों के आने की आसार है कविता
सच है जीवन में लोगों से-
प्यार दर्शाने की आधार है कविता...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

❑❑❑

मोहल्ला- बरगदवा (नई बस्ती),
निकट गीता पब्लिक स्कूल
पोस्ट-मड़वा नगर (पुरानी बस्ती),
जिला-बस्ती 272002 (उ.प्र.)
मोबाइल : 7355309428

ग्रीष्म ऋतु का खान-पान एवं रहन-सहन

- चन्द्रकान्ता शर्मा

जिस तरह गर्मी बढ़ने के साथ-साथ शरीर से कपड़े कम व हल्के होते जाते हैं, उसी तरह गर्मियों में भोजन भी हल्का व सुपाच्य लिया जाना चाहि,। क्योंकि उधर आगे वर्षा आ रही है। यदि आपने गर्मी में पेट या शरीर विकृत कर लिया तो इसका परिणाम वर्षा में अनेक जटिलताओं के साथ सामने आता है। पेचिश, उल्टी तथा अन्य छूत के रोगों का शिकार होकर शरीर रूग्ण हो जाता है तथा हम अनावश्यक रूप से शरीर की चिन्ता में घुलते रहते हैं। इसीलिए गर्मियों में खान-पान के प्रति सजग रहना चाहि,। ज्यादा अथवा गरिष्ठ भोजन करने से जहाँ शरीर काम-काज में लग नहीं पाता वहीं वह प्रमादी होकर गिरा-पड़ा सा बना रहता है। इससे जहाँ स्फूर्ति का लोप हो जाता है वहीं जीवन के प्रति सक्रियता का दृष्टिकोण भी विलुप्त होने लगता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन दिनों भोजन हल्के तथा सुपाच्य लें। वैसे भी इन दिनों भोजन के प्रति रूचि घट जाती है तथा सब्जियाँ तक स्वादिष्ट नहीं लगती और हम भूख शांत करने अथवा भोजन का कोटा पूर्ण करने के लिए विकल्प रूप में अन्य गरिष्ठ चीजों को खा-पी लेते हैं। यह गलत है। उचित तो यही है कि हम सब्जियों के साथ चपातियाँ तथा ताजे फलों का सेवन करें।

गर्मियाँ पसीना तथा घबराहट दोनों उत्पन्न करती हैं, मन और तन दोनों शीतलता और शान्ति

चाहते हैं। इसलिए संतुलित भोजन संयमित रूप से लिया जाना चाहिए। गरिष्ठ मसालेदार नानवेज भोजन शरीर को हानिकारक हो जाता है और कई-कई दिनों तक मनुष्य को भोजन की अरूचि की तरफ अग्रसर करता है। ताजे फलों का ज्यूस, चपातियाँ तथा हल्की कम मसालेदार सब्जियाँ सेहत के लिए उपयुक्त मानी गई है। ठण्डी चीजों में कुल्फी अथवा अच्छे पेय के रूप में विविध शर्बतों का प्रयोग भी फायदेमंद है। अनेक शर्बत दवायुक्त होते हैं, वे शरीर पर धूप अथवा लू का प्रकोप नहीं होने देते। इसलिए गर्मियों में खाली पेट घर से धूप के समय नहीं निकलना चाहि,। घर से चलते समय यदि पानी पीकर निकला जा, तो कभी लू लगने की संभावना नहीं रहती। शरीर को लू लगने पर शरीर से पसीना आना बन्द हो जाता है तथा बुखार बनकर अनेक बार बड़ी पेरशानी भी खड़ी हो जाती है।

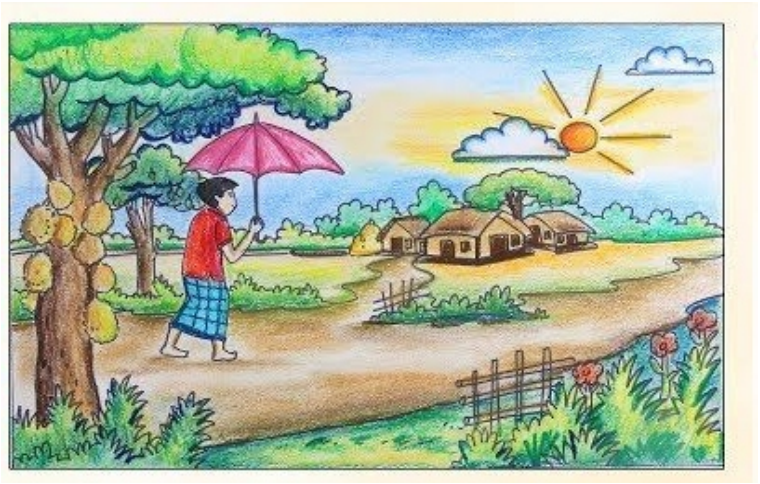

शरीर में पानी की कमी न आने के लिए खूब पानी पिए तथा ग्लुकोस का प्रयोग रखें। न लू लगेगी और न ही पानी की कमी से होने वाले रोग जन्म लेंगे। यदि धूप में चलते समय सिर पर रूमाल डाल लें तो बुरा नहीं है। नियमित रूप से दोनों समय नहाना भी चाहिए ताकि शरीर का तापमान सम बना रहे तथा स्वास्थ्य में अड़चने न अपने पाए। एकदम धूप से आकर अथवा पसीने से लथपथ होने पर ठण्डे जल का प्रयोग न करें। थोड़ा पसीना सुखाकर तथा शरीर का तापमान घटने पर ही पानी पिएं, अन्यथा ठण्डा जल तथा शरीर का बढ़ा तापमान निश्चित ही जुकाम व सिरदर्द या फिर कोई दूसरी परेशानी खड़ा कर देगा। पानी छना हुआ था घड़े का शीतल ही पिए। फ्रिज का पानी स्वास्थ्य को दिक्कतें ही खड़ी करता है। फल भी एक बार में साबुत ही खाएं, कटे हुए तथा पुराने फलों का उपयोग न करें। मच्छर रात में बहुत हो जाते है, इसलिए जहाँ घर व आसपास सफाई रखें वहीं भोजन दिन से लेकर रात में मच्छरदानी का प्रयोग मीठी नींद के लिए किया जा सकता है। मच्छरों के प्रकोप से बचना भी अत्यावश्यक है।

इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में खान-पान एवं रहन-सहन के प्रति एक अनुशासन बनाए रखना चाहिए। वरना शरीर रूग्ण होकर आपको परेशान बनाए रखेगा। इधर गर्म चीजों का इस्तेमाल न करें वरना नुकसान अथवा पेशाब सम्बन्धी दिक्कतें भी आ सकती हैं। शरीर पर हल्के सूती वस्त्र स्वयं पहने तथा बच्चों को भी पहनाएं।

जो वस्त्र पसीना सोंख लेते हैं, वे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। धूप का चश्मा भी प्रयोग में लाना ठीक रहता है। क्योंकि आँखें ज्यादा धूप बरदाश्त नहीं कर पातीं तथा बीमार हो जाती है। कमरों को ठण्डा रखें। रात में सम्भव हो तो छत पर सोएं। यथासमय शौच एवं पेशाब के दवाओं से मुक्त होवें। फिर कोई वजह नहीं कि ग्रीष्म ऋतु आपको किसी भी तरह दुखी करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं वही इन्हीं सावधानियों की रोशनी में अपना जीवन चला सकते हैं। ❑

पता : 124/61-62, अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर-302 020,
(राजस्थान)
फोनः-0141-2782110

ग्रामोद्योग उत्पादों की कीमतों का संतुलन

— सीएमए गोविन्द शुक्ल

भारत में गांवों के परम्परागत उद्योगों का पतन हुआ है। क्योंकि, ग्रामोद्योगों ने अपने उत्पादों की कीमतों को आम जनता के समीप नहीं रखा। ये प्रायः बाजार में स्पर्धा से बाहर हो कर जन सामान्य के लिये अलोकप्रिय हुये, जिसकी कथा और व्यथा किसी से छुपी नहीं है। ग्रामोद्योगों ने पिछड़ना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। बड़ी मशीनों और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था ने उनकी गति को रोक दिया। उदारीकरण के नाम पर गांवों को थोड़ी बहुत खैरात मिल गयी, लेकिन रोजगार की संभावनाएं समाप्त कर दी गयीं। ग्रीष्मकाल से बरसात के मौसम में हाथ से डुलाने वाले पंखे बड़ी संख्या में बिकते थे, वे अचानक बाजार से गायब हो गये। सुराहियों का दबदबा भी कायम नहीं रहा। सत्तू नाम भी अनसुना लगने लगा है। लइया चना की जगह नमकीन के कारखाने जहर उगल रहे हैं। लोग सड़ीगली नमकीन का उपभोग भरपेट कर रहे हैं। जिससे लोगों में अनेक बीमारियों, विशेषकर पेट के रोगों का जाल फैल गया है। पहले ग्रामोद्योगों ने खाने पीने वस्तुओं को किसी सीमा तक स्वच्छ व स्वस्थ रहने लायक बनाया था। शुद्ध तेल, अचार, पापड़, गुड, सिरका, आदि आसानी से मिल जाता था। बिना पालिस की दालें और चावल व अन्य

आनाज गांवों की बाजार में आते थे। अब तो कारखानों का निकला माल ही बाजार में पंहुचता है। ग्रामोद्योग इकाइयों लगभग बंद हो चुकी हैं,या बंद होने की कगार पर हैं। गांवों में जूते बनाये जाते थे,वे प्रचलन से बाहर हो गये। खाद्य सामग्री के मामले में बड़ा उलटफेर हुआ है। लोग ब्रांड के नाम पर लुट रहे हैं,सेहत से खिलवाड़ की छूट है। कोविड काल में कोरोना ने सीख दी थी,जिसे लोगों ने भुला दिया। तीव्र गति से कंपनियों के उत्पाद गांवों में पंहुच चुके हैं। गांवों के लोग अब शरबत छोड़ कर ब्रांडेड ड्रिंक्स आर्डर कर रहे हैं। अर्थात,कंपनियों ने झोपड़ियों में अपना सिक्का जमा लिया है।

ग्रामोद्योगों की दुर्दशा का कारण उनकी गलत कीमतों से हुआ। ग्रामोद्योगों को कीमत तय करने का व्यवहारिक ज्ञान न था। उन्होंने लागत को भी कम न करने का फैसला लिया। इससे उपभोक्ता कीमत प्रभावित हुयी। मान लिया कि सरसों का तेल कोई ग्रामोद्योग इकाई 200 रूपये प्रति लीटर बेचती है, लेकिन गांव का किसान सरसों को स्वयं जाकर अपने सामने पिराई कराता है,और उसे 150 रूपये प्रति लीटर क्रय करता है। ऐसी दशा में उसे 50 रूपये प्रति लीटर लाभ होगा, और संतुष्टि भी मिलेगी। इसलिए, ग्रामोद्योग इकाई सफल नहीं हो सकती। उसे कम से कम दर पर वस्तु को लाना होगा। ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कोई मंहगा खरीदेगा, ऐसा समझना भूल है। अब, समस्या है कि कैसे इन छोटी ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों की लागत कम की जाय, जबकि गुणवत्ता वैसी ही बनी रहे। यह एक तकनीकी कार्य है,जो व्यवसायिक तरीके से ही संभव हो सकता है। सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना होगा, अन्यथा अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र संकट में रहेगा। सारा खेल कीमतों को लेकर है। संसार का अर्थ चक्र बाजार में कीमतों से बनता बिगड़ता है। अर्थव्यवस्था की तस्वीर से सरकार की साख मानी जा सकती है। इसलिए बार बार ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों की कीमत अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है। एक स्वतंत्र निकाय इन वस्तुओं की कीमत तय कर सकती है, जो फिलहाल संभव प्रतीत नहीं होता। तब,प्रयास कीमत घटाने का हो सकता है। यह काम संभव भी है। कीमत घटाने के लिये लागत कम करनी पड़ेगी। लागत कम करने के लिये लागत नियमों तथा तकनीक का प्रयास करना होगा।

यदि, ग्रामोद्योगों के उत्पादन में लागत नियंत्रित हो सके,तो अर्थव्यवस्था दो गुना तक छलांग लगा सकती है। क्योंकि स्वदेशी उत्पाद से किसी सीमा तक आयात कम किया जा सकता है, और निर्यात बढ़ाया जा सकता है। सरकार में इच्छाशक्ति हो, तो लागत लेखे द्वारा कतिपय प्रयोग किये जा सकते हैं। निश्चय औ दृढ़ता-ये दो प्रकल्प साधने ही पढ़ेंगे।

भारत में ग्रामोद्योगों को बहुत हल्के में लिया जाता है,अर्थात ये उपेक्षित हैं। इन्हें देश की अर्थव्यवस्था का उत्तरदायी हिस्सा नहीं माना जाता। केवल रोजगार का लालीपाप समझा जाता है। हालांकि, वर्तमान केंद्र सरकार कुछ गंभीर दिखाई देती है। राज्य सरकार की प्रशासन पर निर्भरता सोचनीय है। शासक और प्रशासक में जमीन आसमान का अंतर है, यह पृथक विषय है। लेकिन प्रशासक का दायित्व शासक के प्रति है,कैसे समझाया जाय। कुछ बातें सरकार को इशारे से समझ लेनी चाहिए। यद्यपि, सरकार कभी नहीं समझेगी। जब स्पष्ट विचार या तथ्य की मांग पर वह नहीं सुनती, तो इशारे का मतलब क्या समझेंगी। तथापि, जनता में इसके लिये उत्साह की भारी कमी अनुभव की जा सकती है। कोई आगे नहीं आना चाहता, नेतृत्व नहीं करना चाहता। व्यवसायिकता का अभाव है, केवल लीक पर नहीं चलता कोई धंधा। लीक से हट कर काम करना होता है। दिल और दिमाग को साथ साथ लगाना पड़ता है,बातों से काम नहीं चलता। दुर्भाग्य का विषय है कि व्यवसायिकता का अर्थ भी लोग सही सही नहीं समझते। व्यापार धंधे में नये विचार और नये तंत्र का समावेश होता है। ग्रामोद्योगों के लिये प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसे भी

सरकारी कार्यक्रम माना जाता है। ऋण लेने का एक उपाय माना जाता है, इसे काम का समाधान नहीं समझा जाता है। यह गम्भीर समस्या है। सरकार की दम पर कितना भला हो सकता है। जो व्यक्ति अपना भला न करना चाहे, उसका भला कौन करे- यह युगों का प्रभाव है। बेरोजगार जैसी कोई समस्या है ही नहीं, यह स्वयं की समस्या हैं।

यदि ग्रामोद्योगों के उत्पादों की कीमतें वहनयोग्य हो जांय,तो रोजगार का पीछा किया जा सकता है। या कहें, कि रोजगार पीछे पीछे चलेगा। सरकारें हलकान हैं,जनता परेशान है-लेकिन युवाओं के कान पर जूं नहीं रेंगती। वे या तो घर बैठे आय का स्रोत चाहते हैं, या मोबाइल पर सब कुछ पा लेना चाहते हैं। युवाओं को न अपना कर्तव्य पता है, न अधिकार। उन्हें अपने कैरियर की राह भी नहीं ज्ञात है,या उस पर उनका विश्वास नहीं है। युवाओं में आत्मविश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं, विवेक नहीं, परिश्रम नहीं, धैर्य नहीं, स्वाभिमान नहीं। ऐसे में, कैसे ग्रामोद्योग का सर्वोदय होगा। कैसे सबका हित हो सकेगी? छोटे छोटे स्थानीय संसाधन व रूचि के काम होंगे? ग्रामोद्धार कैसे हो,ग्रामोदय कैसे हो? सो, युवाओं को भ्रम से निकालने की आवश्यकता है। भटके हुये युवा गांवों में नया जीवन पा सकते हैं, ईमानदारी और मेहनत रंग लायेगी। गांवों से पलायन को हतोत्साहित करना चाहिए, शहरीकरण पर समुचित रोक लगनी चाहिए। अथर्ववेद, ग्रामीण विकास और नगर विकास के बीच खांई को पाटना चाहिए। दोनों के संतुलित विकास पर नीति बनें।

ग्रामोद्योगों की हालत खराब है, वे रूग्णावस्था में घिसट रहे हैं। अधिसंख्य ग्रामोद्योग टूट रहे हैं,सिमट रहे हैं,बिखर रहे हैं। इनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए, मूल्यीकरण का विचार दूर की कौड़ी है। जबतक नियम और नियत दोनों तराजू के पलड़े पर झूलते रहेंगे, तबतक कोई समाधान नहीं निकलेगा। जीवन रक्षक दवाओं की कीमत तय करने का साहस नहीं जुटाया गया,तो कारीगरों के काम की कीमत आंकना दुस्तर होगा। हानि-लाभ, जीवन-मरण, जस-अपजस विधि हाथ। ऐसे वातावरण में कोई सुधारवादी सोच का न तो जन्म होता है, न अंत। समाज की अवधारणायें अनंत में विलीन हैं।

उदारवादी सोच को आगे बढ़ानें में सरकारों ने निरंतर योगदान किया है। उदार अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चों पर सफलता अर्जित की है। लेकिन ग्राम विकास का सपना आज भी अधूरा है। ग्रामवासी का मतलब किसान नहीं है। एक वर्ग है,जो किसानी से पृथक अपना अस्तित्व रखना चाहता है। वह ऐसा वर्ग है,जो शीघ्र पैसा कमा कर उसका उपभोग कर सके। इनको ग्रामोद्योग अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसलिए, जागरूकता और प्रचार प्रसार के अतिरिक्त सबसे बड़ा कार्य है, कीमतों में कमी। लागत में कमी से ही कीमतों में कमी संभव है,अन्यथा नहीं। अनेक तरीके हैं,यानी तकनीक हैं- जो लागत कम कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में कोई समस्या भी नहीं है। बस,सरकार में बैठे लोगों को समझना होगा कि ग्रामोद्योगों में उत्पादों की लागत व कीमत पर कमी का उपाय करना अनिवार्य है। जिस दिन अधिकारियों को भी समझ आयेगी की अर्थव्यवस्था की भागीदारी उन्हें भी निभानी है,तो उसी दिन से काया कल्प होने लगेगा। केवल मेरे लेख से, या मेरे विचार से, अथवा मेरे प्रयत्न से कुछ होने वाला नहीं है। यहां एक पृथक वातावरण बनाया गया है-कि वास्तविकता से लोग दूरी बनाते हैं,और अवास्तविकता से नाता जोड़ते हैं। सच्चाई पर कम ही काम होता है। अधिकतर, सच्चाई को जीवन से अलग रखने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। व्यापार हो, कला हो, साहित्य हो,या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी हो-सब में वास्तविक सोच को ही अपनाया जा सके। ❑

(लेखक कास्ट एकाउंटेंट और वीएसएसडी कालेज, कानपुर के शोधछात्र हैं।)

पता : 1/53, विनयखण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ-226010

सहकारीदर्शन व थियोलॉजी

- बृजपाल

दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान,
शास्त्री नगर, पटना-23

धर्ममीमांसा (थियोलॉजी) या ईश्वर मीमांसा देवत्व अथवा परमात्मा की प्रकृति को अधिक व्यापक रूप से धार्मिक विश्वास का व्यवस्थित अध्ययन है। किसी धार्मिक सम्प्रदाय के द्वारा स्वीकृत विश्वासों व सिद्धांतों का सुव्यवस्थित संग्रह एवं उस का तार्किक अध्ययन ही उस सम्प्रदाय की धर्म मीमांसा है।

सम्प्रदाय एक वेश-भूसा, समान धार्मिक रीति-रिवाज तथा एक जाति के लोगों का समूह है। सम्प्रदाय में एक से अधिक सम्प्रदाय हो सकते हैं। इस तरह वेद और पुराणों से उत्पन्न 5 तरह के सम्प्रदाय माने जा सकते हैं-1. वैष्णव 2. शैव 3. शाक्त 4. स्मति और 5. वैदिक सम्प्रदाय। सम्प्रदाय का इतिहास 3 हजार या 5 हजार वर्षों से अधिक का है। जिनमें लाखों लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ बदली हैं।

आज के परिवेश में नये सामाजिक और आर्थिक ढाँचे की आवश्यकता है। Theology and Cooperative Philosophy एक दूसरे के विरोधाभासी है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए अनुकूल व प्रबल शक्तियों का विकास, गति और दिशा आवश्यक है। आज ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में 30 बिलियन डालर सहकारी आन्दोलन का योगदान है।

पंथ किसी विशेष दर्शन या उद्देश्य के लिए होते हैं जैसे कबीरपंथ, खालसापंथ, भारत में 100 से अधिक पंथ हैं। धर्म की कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य हो। पूर्ण पवित्र, सत्य व साश्वत सिद्धांतों के आचरण को धर्म कहा जा सकता है। भारत में छः पंथ हैं- 1. वैश्णव
2. शैव 3. शाश्वत 4.शाक्त 4. वैदिक
5. स्मति 6. संत।

धर्म के कोई स्थायी सिद्धांत व स्वरूप नहीं हो सकते हैं। विभिन्न आर्थिक व सामाजिक अवस्थाओं में धर्म के सिद्धांत व स्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं। आज के वैश्विक परिवेश में प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित दोहन जीव-संरचना का उचित संरक्षण, तरंगों का उचित संरक्षण, वनस्पति का नियोजित उपयोग, बौद्धिक क्षमता का विकास, जल व वायु की शुद्धता, पहाड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव 54000 ग्लेशियरों का तेजी से पिघलने में गिरावट आयी है।

भारत की जनसंख्या के 79.8 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म का अनुसरण करते हैं। इस्लाम 15.23 प्रतिशत, बौद्ध धर्म 0.70 प्रतिशत, इसाई पन्थ 2.3 प्रतिशत और सिक्ख धर्म 1.72 प्रतिशत में भारतीयों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म हैं। दुनियाभर में 2.2 अरब इसाई (विश्व जनसंख्या में 32 फीसदी) 1.6 अरब मुस्लिम (23 फीसदी) एक अरब हिन्दू (15 फीसदी) करीब 50 करोड़ बौद्ध (सात फीसदी) और 1.4 करोड़ यहूदी (0.2 फीसदी) है।

5 सम्प्रदायों जातियों व 6 पंथों के विरोधाभास में लिपटा हिन्दू धर्म है जो अनेक विचारों और विभिन्न संस्कारों से भरा है। हिन्दू धर्म में चार वेद 18 पुराण, उपनिषद हैं इसके अतिरिक्त मनुस्मृति इस धर्म का मुख्य साहित्य है। भारत में 4 संकराचार्य और मंडलेश्वर की धार्मिक उपाधियाँ हैं। क्रिश्चियन सम्प्रदाय में रोमन कैथालिक व प्रोटेस्टेट प्रकार के हैं। इसाई धर्म की छः प्रमुख शाखाएँ हैं- रोमन कैथालिक (13 अरब) प्रोटेस्टेटवाद (80 करोड़) पूर्वी रूढ़िवादी (22 करोड़) प्राच्य रूढ़िवादी (6 करोड़) पुर्नस्थापनवाद (3.5 करोड़) और पूर्व की कलीसिया (6 लाख)। ईश निंदा पर सबसे पहले ब्रिटेन ने वर्ष 1860 में कानून बनाया था। जो वर्ष 1927 में

संशोधित हुआ। बाद में वर्ष 2019 तक विश्व के 40 प्रतिशत देशों में ईशनिंदा के खिलाफ कानून लागू हैं और ईशनिंदा वर्जित है। प्रत्येक सम्प्रदाय के अपने उपासना स्थल हैं जिनमें भारत में 7 लाख मंदिर, 20 लाख मस्जिदें, गिरिजाघर 2.5 लाख, गुरूद्वारे 45000 हैं।

विश्व में 300 धर्म हैं जिसमें 7 धर्म समकालीन अवस्था में प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्मसम्प्रदाय की अपनी आधारभूत संरचना है। प्रत्येक धर्म के पेशें में एक वर्ग सम्मिलित है। धर्म के पेशें में संलिप्त लोग धार्मिक कार्यों जैसे धार्मिक, शिक्षा, पूजा-पाठ व उपासना के कार्य इनका कार्य है। धर्म के आधार पर सामाजिक संगठन हैं। कुछ मंदिर, मस्जिदों व गुरूद्वारों में बड़े धन का संग्रह है ये अनुमान लगाया जाता है। कुछ छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पादों के बराबर इनके पास धन संग्रह है। धर्म की यह विशाल आधारभूत संरचना राजनीति को भी प्रभावित करती है।

व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार हैं। समाज धर्म सापेक्ष है परन्तु संविधान का मौलिक चरित्र व प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है। इनके बीच विरोधाभास गतिशील रहता है। समाज के विवेकीकरण एक जटिल पक्रिया है। डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक "Comparative Theory of ReligionPhliosophy" के निष्कर्ष में लिखा है। Is it a religion of power and hate or brotherhood or love.

आज मानव कल्याण के लिए उत्पादक शक्तियो का विकास, उत्पाद उत्पादन के संबंधों में अनुकूल परिवर्तन जिनमें Leasehold Right भौमिक अधिकार उत्पादन में संयुक्त भागीदारी व संयुक्त पूँजी से संसाधनों का दोहन और प्रतिफल में पूँजी व श्रम की भागीदारी के अनुसार उपयुक्त प्रतिफल सामाजिक संरचना का उद्देश्य होना आवश्यक है।

मुस्लिम सम्प्रदाय के अन्दर शिया 4 और सुन्नी 13 प्रकार के हैं। आज भी विश्व में 5 देशों में धर्म का कानून लागू होता है ये देश हैं- सउदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान, ब्रुनेई और नाइजीरिया। कुछ मुस्लिम देशों में ईश निंदा के लिए मौत का प्रावधान है। कुछ मुस्लिम देशों में मुस्लिम धर्म को छोड़ना वर्जित है। व्यवहारिक रूप से भारत में भी मनुस्मृति से सामाजिक कार्य संचालित होते हैं।

प्रश्न आज जटिल समाज के विवेकीकरण और वैज्ञानिक निरूपण का है। सामाजिक परिवर्तन के लिए विधिक संरचना प्रभावी नहीं रहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आज अपनी आय का एक भाग धार्मिक संस्कारों पर व्यय करता है। आज घरेलू बचतें घटी हैं। कृषि व पशुपालन में बड़े निवेश व विज्ञान और टेक्नालॉजी के उपयोग की आवश्यकता है। भारत में कृषि उत्पादन व उत्पादकता अन्य देशों की अपेक्षा कम है। "All India credit survey committee" 1954 में निरूपित किया है कि "Forces of change shall be more powerful than those devises which are sought to counteract them."

राकडेल पायनियर (1844) में ग्रेट ब्रिटेन में 17 जुलाहो ने मिलकर उपभोक्ता भण्डार स्थापित किया। इस भण्डार का उद्देश्य अपने सदस्यों को दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। उपभोक्ता भण्डार को चलाने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए थे जिनमें "Religious and political Nutralitity" एक सिद्धांत था आज यह सिद्धांत भारतीय परिवेश में आज अधिक प्रासंगिक है। Religious and political Nutralitity की सहकारीदर्शन के अनुकूल है। सहकारी आन्दोलन का राजनीतिककारण दलों के निहित स्वार्थ का विषय हो जाता है।

आज प्रश्न सहकारी दर्शन को पुर्न-परिभाषित करके सहकारी संस्थाओं के शशक्तिकरण का है। ❑❑

पता : सलेमपुर पतौरा,
थाना पारा,
लखनऊ-226101

जल संरक्षण, जन जरूरत

- अंकुर सिंह

हम जिस देश में रहते है उस देश के प्रमुख शहरों और वहां के सभ्यता को विकसित करने में नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका है और नदियों का अस्तित्व उसमे भरे जल से है और जल की महत्व को समझते हुए हमारे पूर्वजों ने जल को आराध्य देव मानते हुए जल देवता कह के पूजा करना आरंभ किया था। अतः हमें अपने शहर, सभ्यता और पूर्वजों की पहचान को बचाने के लिए के एकजुट होकर जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। जल और वायु ऐसे पदार्थ हैं जिनके बिना किसी जीव के जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए कह सकते है की स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध जल और शुद्ध हवा का मिलना बहुत जरूरी है।

आकड़ों की बात करें तो पृथ्वी लगभग अपने सतह के दो तिहाई भागों से जल से भरी है, परन्तु उस दो तिहाई भाग का 97 प्रतिशत पानी समुद्र में है और केवल 3 प्रतिशत जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और मानव शरीर में लगभग 60 प्रतिशत जल होता है और वो भी शरीर के विभिन्न अंगों में पानी की मात्रा भी विभिन्न-विभिन्न होती है जैसे कि- हड्डियों में भी 22 प्रतिशत, दाँतों में 10 प्रतिशत, त्वचा में 20 प्रतिशत, दिमाग में 74.5 प्रतिशत, मांसपेशियों में 75.6 प्रतिशत जबकि खून में 83 प्रतिशत पानी होता हैं। अब इस आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी का केवल 3 प्रतिशत पाए जाने वाला जल हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम आज जल संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं हुए तो वो दिन भी दूर नहीं जब पानी के लिए हमें गृह-युद्ध का भी सामना करना पड़े।

कहा जाता है जो चीज जितनी दुर्लभता से मिलती है उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा रहती है और वही चीज यदि किसी को सुलभ रूप से मिले तो उसकी कीमत उसे समझ में नहीं आती ठीक

वैसे ही आज से लगभग 25-30 साल पीछे जाए तो पानी पाने का इतना सुलभ साधन नहीं था लोग दूर-दराज के कुएँ या तालाब से पानी लाते थे और बड़ा सहेज कर उसका उपयोग करते थे आज के वर्तमान परिवेश में लोग भू-गर्भ में स्थित जल का बड़ी तेजी से दोहन कर रहें हैं। उन्हें बिजली के एक स्विच दबाने से जल आसानी से मिल जा रहा है जिससे लोग इस जल के महत्व को नहीं समझ रहें है। जिसका एक उदाहरण टंकी भर जाने के बाद गिरता हुआ पानी है, नल को खुला छोड़कर शेविंग या ब्रश करना, गाड़ियों को धुलने के लिए बाल्टी-मगे का प्रयोग ना करके तेज धारा वाले पाइप का उपयोग करना इत्यादि देखने को मिल जाते है। एक आंकड़े के मुताबिक हर दिन करीब 4 करोड़ 84 लाख क्यूबिक मीटर पानी की बर्बादी होती है। जल की बर्बादी केवल घरेलू रोजमर्रा के कार्यों में ही नहीं अपितु कल कारखानों में भी हो रहा है साथ ही कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों में जाकर नदियों के जल को भी दूषित कर रहे हैं और आजकल बोतलबंद पानी और कोल्ड-ड्रिंक का व्यापार भी जबर्दस्त भू-जल का दोहन कर रहा है। भयंकर भू-जल दोहन के कारण 2007-2017 के बीच देश में भू-जल स्तर में लगभग 61 प्रतिशत तक की कमी आयी है।

हम जानते है की भारत एक कृषि प्रधान देश हैं और खेती के लिए सिंचाई बहुत ही जरूरी है, ज्यादातर मामले में देखा जाता है की किसान ये सोचता है की खेत को लबालब पानी भर देने से उसको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, परन्तु उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं रहता की उसमें से अधिकतर जल का तो वाष्पीकरण हो जाता है, आकड़ों कि बात करे तो देश के 89 प्रतिशत भू-जल का इस्तेमाल कृषि कार्यों में होता है। अतः किसानों को भी चाहिए की वर्तमान परंपरागत सिंचाई के जगह फुहारा या ड्रिप सिंचाई (ड्रिप या टपक सिंचाई में जल को मंद- मंद गति से बूँद-बूँद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइपलाइन से प्रदान किया जाता है। जिससे जल की काफी मात्रा में बचत होती है) का प्रयोग करें। सरकारें किसानों को सब्सिडी दे रही इस सिंचाई व्यवस्था को अपनाने के लिए सब्सिडी कोई भी किसान ले सकता हैं बस उसके नाम खेती योग्य भूमि हों।

एक रिपोर्ट के अनुसार सवा करोड़ आबादी वाले इस देश में लगभग 70 करोड़ लोग पेयजल के किल्लत का सामना कर रहे है। अभी हाल के वर्षों में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम में जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा देश के जलशक्ति मंत्रालय ने जल संकट से निपटने के लिए जलशक्ति को जनशक्ति से जोड़ने की बात कहीं और केन्द्रीय जल-शक्ति मंत्री ने 1 जुलाई, 2019 को जलशक्ति अभियान की शुरूआत की। इसके तहत देश के 256 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया। इस अभियान को दो चरणों में चलाना तय किया गया है, पहला चरण 1 जुलाई, 2019 और दूसरा चरण 1 अक्टूबर, 2019 से और इस अभियान का फोकस पानी के कम दबाव वाले जिलों पर किया गया। इस अभियान का मकसद जल-संरक्षण के फायदों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है ताकि देश के हर एक इंसान को जल का महत्व समझ में आ सके और सभी जल संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दें।

जल संरक्षण कि जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी का हैं। देश के पढ़े लिखे लोगों को चाहिये की सबको जागरूक करे उन्हें फिर उन्हें जल संरक्षण के पुराने विधियों जैसे तालाब, कुएँ, पोखर, झील इत्यादि का महत्व समझायें की कैसे उस समय उनके पूर्वज तालाब, कुएँ, पोखर, इत्यादि का निर्माण करवाते थे ताकि बारिश का पानी जमा हो सके जिससे आस पास के भू-जल रिचार्ज हो सके हुए जल स्तर में वृद्धि हो। क्योंकि बिना बारिश के पानी को रोके गिरते जल स्तर पर काबू पाना मुश्किल है। देश की जनसंख्या

दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है जिससे आने वाले समय में पानी की और जबरदस्त मांग रहेगी एक आकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता 750 मिलियन क्यूबिक मीटर थी वही आने वाले 2025 तक जल की यह आवश्यकता 1050 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी और तो और 2030 तक बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग अभी हो रही आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी। इस आधार पर कह सकते है की बारिश के जल के भण्डारण और जल संरक्षण पर आज सचेत नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों के घरों में चोरी और डकैती भी पानी के लिए होगी। जल संरक्षण हेतु नदी-नालों पर कुछ निश्चित दूरी पर स्टाप डेमों का निर्माण के साथ-साथ नए तालाबों का निर्माण एवं पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार बहुत ही जरूरी है। बीते कई दशकों पर गौर करे तो लगभग दो तिहाई तालाब, कुएँ, पोखर, झील खत्म हो चुके है जिससे बारिश के पानी को पहले जैसा इकट्ठा कर पाना आसान नहीं रहा और तो और किसान भाइयों को भी चाहिए की अपने खेतों की मेड़बंदी काफी ऊँचीं करे जिससे बारिश का पानी खेतों में फसलों के लिए रूके और जो उपजाऊ मिट्टी बारिश के साथ बह जाती थी उसका कटान भी रूके। इसके साथ शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल संचय के छतों इत्यादि पर भी बनाया जा सकता है जिससे बारिश के जल को इकट्ठा कर के उनका दैनिक जीवन में जैसे की बागवानी, गाड़ी, कपड़े बर्तन की धुलाई इत्यादि कार्यं किये जा सकते है या शहरों में भी पार्किंग इत्यादि के पास गड्ढे खोद कर वर्षा के जल को संचय किया जा सकता है और ये जल भू जल स्तर बढ़ाने के साथ साथ दैनिक कार्यों में भी बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बारिश का केवल 8 प्रतिशत पानी ही संरक्षित हो पाता है। यदि भविष्य में जल संकट से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा बारिश के जल का ज्यादा से ज्यादा संचय करना होगा।

जल संरक्षण के जागरूकता अभियान लिए केंद्र सहित सभी राज्य सरकारों को चाहिए की ग्राम पंचायत स्तर पर कलाकारों की कमेटी बनाकर वहां के क्षेत्रीय भाषा में रंगमंच कार्यक्रम सहित जल संरक्षण पर गायन कार्यक्रम इत्यादि करायें और इन कार्यक्रमों से जल संरक्षण के महत्व को समझाने के साथ-साथ लोगों को वृक्षारोपण के लिए भी जागरूक करें और हर पंचायत स्तर पर लगभग 8-10 घरों से उपयोग के बाद निकलने वाले पानी जैसे नहाने, वाशिंग मशीन का पानी इत्यादि एक जगह इकट्ठा करें एवं पुनः उसे रीसायकल करते हुए अन्य कार्यों में जैसे बागवानी, कृषि कार्यों इत्यादि में प्रयोग करे और निजी कार्यों के लिए हो रहे अंधा-धुंध निजी बोरिंग पर अंकुश लगाए तथा कुएं और हैंडपंप से 2-3 मीटर के दूरी पर गड्ढे को अनिवार्य करें और उसमे पहले बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे और अंतिम में रेत डाले और वहां पर गिरने वाले पानी को उस गड्ढे में जमा करें जिससे आस-पास के जल स्तर को बढ़ने में काफी मदद मिलेगीं।

भारत में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा हैं। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किये गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर खड़ा है। जल संकट के मामले में चेन्नई और दिल्ली जल्द ही दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर जैसे बनने के राह पर है यदि हम जल संरक्षण पर आज अभी नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश के कुछ प्रमुख शहर में वाटर लेवल जीरो हो जायेगा मतलब वहां पीने का पानी नहीं रहेगा। अपने देश में जो लोग पानी की कीमत आज बिलकुल नहीं समझ रहें हैं लोगों को समझना होगा की धरती माता द्वारा दिया जा रहा ये तरल पदार्थ पानी ही नहीं अपितु जीवन प्रदान करने वाला एक अमृत भी हैं, और इस अमृत के महत्व को समझकर इससे एक-एक बूंद की रक्षा करें क्योंकि धरती के भू-गर्भ से निकलने वाले अमृत सामान जल के लिए कहा जाता है कि- जल है तो कल है। ❑

पता : हरदासीपुर, चंदवक
जौनपुर, उ. प्र. -222129.
मोबाइल - 8367782654.
व्हाट्सअप - 8792257267.
ईमेल -ankur3ab@gmail-com

ग्रामीण नाट्य साहित्य

'सहकारिता गांव'

– डॉ राघवेन्द्र शुक्ल'

'प्रथम दृष्य'

(नेपथ्य से ध्वनि आ रही है-गांव के सरपंचों को सूचना दी जाती है कि वे कल दोपहर 12 बजे पंचायत घर में उपस्थित हों। ग्राम प्रधान ने विशेष बैठक बुलाई है।)

(पर्दा उठता है।)

(ग्राम प्रधान सभा बुलाते है। पांच पंच बैठक में सम्मिलित होते हैं।)

ग्राम प्रधान (खड़े होकर)- पंचों और ग्राम वासियों,देश में सहकारिता का बिगुल बज चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। अब सहकारिता को स्वतंत्र मंत्रालय मिला है। यहां सहकारिता को विशेष महत्व दिया जायेगा। (बैठ जाते हैं।)

एक पंच- प्रधान जी, यह सहकारिता क्या है? मैंने कभी इस शब्द को अखबार में पढ़ा था,लेकिन इसे समझ नहीं पाया।

दूसरा पंच- जी, प्रधान जी। मैंने भी इसे टी.वी.पर सुना था। कोई नेता इसके बारे में बोल रहा था। कुछ समझ में नही आया।

तीसरा पंच- श्रीमान। मैंने सहकारी बैंक का नाम सुना है। इसी में मेरे भाई ने खाता खुलवाया था। मैंने सोचा कि यह गलती से सरकारी की जगह सहकारी लिख गया होगा। क्या सहकारी का मतलब सरकारी नहीं है?

चौथा पंच- मान्यवर। सहकारिता के एडीओ हमारे ब्लाक आफिस में बैठते हैं। एक बार किसी जांच के सिलसिले में वे अपने गांव पधारे थे। अधिक मैं भी कुछ नहीं जानता।

पांचवां पंच- महोदय,एक बार जिला पंचायत कार्यालय में किसी काम से गया था। वहां के बाबू लोग सहकारी समिति पर कुछ बातचीत कर रहे थे। लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आप ही पूरी कहानी बतायें कि ये सहकारिता है क्या बला।

प्रधान (उठ कर खड़े होते हैं)- पंचों, अत्यंत खेद का विषय है कि हम लोग सहकारिता के बारे में कुछ नहीं जानते। असल में सहकारिता एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है,या कार्यक्रम है। सहकारिता का मतलब है,सहयोग से काम करना। अर्थात,लोग मिल कर कोई कार्य करें। जो काम अकेले करना कठिन हो, उसे कई लोग मिल कर सरलता से कर सकते हैं। (बैठ जाते हैं।)

तीसरा पंच- प्रधान जी,समाज तो सहयोग से चलता है,हर काम में एक दूसरे का सहयोग होता है। सहयोग न हो, तो कोई भी काम नहीं हो सकता। छप्पर रखने के लिए भी मोहल्ले के लोगों का बुलाना पड़ता है। तो,सहकारिता से क्या सहयोग बढ़ जायेगा-क्या ऐसा आप कह रहे हैं?

प्रधान- समाज का सहयोग परम्परागत है,सदियों से चला आ रहा है। लेकिन यह सहयोग थोड़ा हट कर है। एक तरह से यह कानूनगत सहयोग है। नियम के अनुसार कुछ लोग मिल कर निश्चित उद्देश्य से काम निर्धारित करते हैं। सम्मिलित लोगों को मिल कर जिम्मेदारी निभानी होती है। जैसे कि सहकारी खेती करना,यह खेती का काम तो आसानी से सहयोग से हो सकता है। दस लोग मिल कर अपनी जोत को एक साथ कर सकते हैं।

पहला ग्रामवासी- साहब, हम समझ नहीं पा रहे। हमारे खेत पर सब कैसे काम करेंगे। क्या खेत हमारे नहीं रहेंगे?

प्रधान- क्या खेत को तुम बलकट यानी परती पर एक साल के लिए नहीं उठा देते हो, तो क्या खेत तुम्हारा नहीं रहता? खेत के स्वामित्व पर असर नहीं पड़ेगा। खेत तुम्हारा ही बना रहेगा। बस,कुछ समय के लिए कार्य करने की दशाओं में विभाजन करते हैं। सभी बराबर जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं।

दूसरा ग्रामवासी- सर,ये भी झंझट का काम है। लाभ के बंटवारे का आधार क्या होगा?

प्रधान- लाभ तो बराबर मिलेगा। जिम्मेदारी का बंटवारा जरूर होता है। खेती के लिए धन भी लगाना होता है। ऐसे में, कम जोत वाला अधिक धन लगा कर बराबर का लाभ कमायेगा। इस पर आपसी सहमति से कोई भी तरकीब लगा सकते हैं,जिससे सबको लाभ हो। लाभ का बराबर बंटवारा हो,जिससे संतोष बना रहता है।

पहला ग्रामवासी-बाबू जी, संतोष की बात नहीं है,भरोसे की बात है। हम भरोसा कैसे करें, कि आप जो बात कह रहे हैं,वह ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी?

प्रधान- एक बार भरोसा तो करना होता है,चाहे कोई काम हो। किसी नये काम में भरोसा नहीं,तो उसका लाभ भी नहीं। यह कार्यक्रम लोगों के हित के लिये है,अहित के लिए नहीं।

प्रधान- देखिये, यदि आपस में भरोसा है,विश्वास है तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। यदि लोग मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेंगे, तो काम पर भी भरोसा नहीं करेंगे। जब अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, तब दूसरे पर क्या खाक होगा?

पहला पंच- जी, श्रीमान। मुझे सहकारिता पर भरोसा करना पड़ेगा। गांव में सभी को सहकारिता के बारे में घर घर जाकर बतायेंगे। जिससे सहकारिता की जागरूकता से गांव में खेती का भविष्य बनाया जा सके। जब खेती से दो गुना लाभ मिलेगा,तो गांव छोड़ कर कोई क्यों शहर जायेगा?

प्रधान- बिल्कुल ठीक है। सभी पंच गांव में सहकारिता के बारे में लोगों को बतायें। अगले सोमवार को हम फिर मिलेंगे। बैठेंगे। सभा विसर्जित की जाती है।

(सभी उठ कर जाते हैं।)

(पर्दा गिरता है।)

'द्वितीय दृष्य'

(पंचायत घर में सभा का दृष्य। नेपथ्य से ध्वनि आती है,ग्राम प्रधान महोदय ने पंचों और ग्रामीणों को बुलाया है। बैठक आरम्भ हो चुकी है।)

(पर्दा उठता है।)

प्रधान (खड़े हो कर)- सभी ग्रामवासियों का स्वागत है। हम एक बार फिर सहकारिता पर बात करने जा रहे हैं। आशा है,सभी लोगों ने सहकारिता के बारे में थोड़ा जरूर समझा होगा। (बैठ जाते हैं।)

पहला ग्रामवासी- जी, साहब। गांव में सहकारिता की लहर है।

प्रधान खड़े होकर)- इस गांव को सहकारिता गांव बनाना है। हर घर सहकारिता से जुड़ेगा। सहकारी खेती होगी। सभी मिलकर सहकारिता नियम से खेती का काम करेंगे। सामूहिक खेती की जायेगी। सभी समस्याओं को सामूहिक रूप से हल किया जायेगा। सभी के कार्य बांट दिये जायेंगे। जो आदमी जिस काम का के लिए ठीक होगा,उसे वही काम दिया जायेगा। लोग अपना अपना काम ड्यूटी की तरह करेंगे। इससे उपज दो गुनी होगी, और

लाभ भी दो गुना होगा।

प्रथम ग्रामवासी- प्रधान जी। मैंने घरों में जा कर सहकारिता के उद्देश्य और लाभ बताये हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि सरकार भी सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। सभी ने सहकारिता के बारे में खूब दिलचस्पी दिखाई। लगता है कि इस गांव में सहकारिता खेती सफल हो सकती है।

द्वितीय। ग्रामवासी-मान्यवर। लोगों को सहकारिता की जानकारी मैंने दी है,सभी को बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में वे मानसिक रूप से सहकारी खेती के लिए तैयार हो जायेंगे।

प्रथम पंच- श्रीमान् जी।मैंने सहकारिता के विषय में लोगों को परिचित कराया है। सभी में उत्साह दिखाई दे रहा है। यदि हमारे गांव में सहकारी खेती सफल हो गयी,तो दूसरे गांवों में भी इसे अपनायेंगे।

द्वितीय पंच- प्रधान जी। यह शुभ संकेत है कि लोग सहकारिता को पसंद कर रहे हैं,उन्हें समिति में आ रहा है। सहकारिता से गांवों को खुशहाल बनाया जा सकता है। लेकिन,मन में आशंका है कि इसकी व्यवस्था कैसे होगी?

प्रधान- हां, उचित प्रश्न है। इसकी व्यवस्था प्रबंध समिति से चलायी जायेगी, जिसका चयन चुनाव द्वारा होगा। समिति के कार्यकर्ता प्रबंधन की जिम्मेदारी निभायेंगे।

द्वितीय पंच- जी, समझ में आया। चुनाव द्वारा सहकारी समिति बनाये जायेगी,और उसके पदाधिकारी कार्य करेंगे। यह तो बही अच्छा होगा,क्योंकि समिति के पदाधिकारी बदलते रहेंगे। जो आदमी अच्छा काम करेगा,उसे अध्यक्ष या सचिव बनाया जायेगा।

दूसरा ग्रामवासी- सर जी। समिति बनेगी, तो उसके नियम भी बनेंगे और सरकार से मान्यता भी ली जायेगी या दी जायेगा। यह सभ तो जटिल काम है। क्या गांव में यह सब कोई कर पायेगा?

प्रधान (खड़े हो कर)- जी। यह भी उत्तम प्रश्न है। सरकार का सहकारिता विभाग, जो जिले में मेन भी है, उससे जानकारी लेकर सहकारी कृषि समिति का गठन किया जायेगा, उसकी नियमावली भी उनकी सहायता से बनेगी। फिर, समिति का पंजीकरण भी सहकारिता विभाग करेगा। ऐसा है।

चतुर्थ पंच- महोदय। फिर तो समस्त काम और जिम्मेदारी सरकारी नियमों से चलायी जायेगी। तब तो हर बात पर सरकार का हस्तक्षेप बना रहेगा। और काम करना कठिन होगा।

प्रधान- नहीं, ऐसा नही हैं। सहकारिता समिति हमारी है, सरकार की नहीं। यह समिति इसलिए बनेगी, क्योंकि इसके नियमों पर चला जाय। अधिकार व कर्तव्य के संबंध में कोई विवाद न हो। आपसी मतभेद या शंका आदि न रहे। सब नियम लिखित होंगे,वे सब पर एक समान लागू होंगे। इसलिए, सब पर एक साथ लागू भी होंगे। इस समिति के नियम अपनी ही व्यवस्था को चलाने के लिए हैं, जो सबको स्वीकार होंगे। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

तृतीय पंच- तो महोदय, इसे लागू करें। हम

सब सहकारी कृषि समिति के गठन से सहमत हैं।

प्रधान(खड़े होकर)- इसी सप्ताह में सहकारी समिति का गठित होगी,चुनाव द्वारा पदाधिकारी तय होंगे और इसके बाद समिति का पंजीकरण होगा। अगली बैठक के लिए आपको सूचित किया जायेगा। सभा विसर्जित हो।

(सभी लोग चले जाते हैं।)

(पर्दा गिरता है।)

तृतीय दृष्य'

(नेपथ्य से ध्वनि सुनाई देती है-पंचों और ग्रामवासियों की सभा कल रविवार को दोपहर 12 बजे होगी। उपस्थिति अनिवार्य है।)

(पर्दा उठता है।)

(प्रधान सरपंच सहित आते हैं, ग्रामवासी आकर सभा में बैठते हैं।)

प्रधान- सभी आगंतुकों का स्वागत है। हर्ष का विषय है कि सहकारी समिति का चुनाव संपन्न हो गया। जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे। सभी का चयन चुनाव द्वारा विधिवत् संपन्न हो गया। हम उनका सम्मान करेगें।

(मंच पर बुला कर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को माल्यार्पण करते हैं।)

प्रधान- गांव के सभी 107 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके समिति की सदस्यता ग्रहण की। अब गांव की सम्पूर्ण जोत की देखभाल और उत्पादन की जिम्मेदारी समिति की होगा। शुद्ध लाभ में सभी 107 सदस्यों का हिस्सा माना जायेगा। मैं समिति के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि वे आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष (खड़े होकर)- ग्रामवासी सदस्यों का अभिनंदन है। आप सबने मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है,उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी का सदस्यता शुल्क मिल गया है। समिति का खाता बैंक में खोला जायेगा। आगे की कार्यवाही का संचालन सचिव करेंगे।

सचिव (खड़े होकर)- श्रीमान जी का धन्यवाद। सभी सदस्यों के लिए साप्ताहिक कार्य सूची तैयार की गयी है। जिसके लिए जो काम निर्धारित किया गया है उसे वे पूर्ण निष्ठा से निभायेंगे,ऐसा हमारा विश्वास है। मैं स्वयं,अध्यक्ष जी,कोषाध्यक्ष जी भी सदैव मिलकर कार्य करेंगे। कार्य के बिना लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा। खर्चों का अनुपातिक भाग भूमि के हिसाब से आगणित होगा। इसलिए मुझ से संपर्क करके अपना अपना कार्य और लागत धनराशि का अंश ज्ञात कर सकते हैं। एक दिन का साप्ताहिक अवकाश सभी को देय होगा। अन्य कोई अवकाश नहीं मिलेगा। किसी भी समस्या के आने पर,या भ्रम पैदा होने पर मुझे बतायें-किसी अन्य से वाद विवाद न करें। आपस में एकता बनाये रखें। ऐसा समझें कि हम सब एक जहाज पर सवार हैं। हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। अनुशासन और विश्वास जरूरी है। कोई शंका हो, तो मैं समाधान के लिये बैठा हूं। अभी बता सकते हैं।

एक ग्रामवासी-साहब, हमें फसल में हिस्सा मिलेगा या पैसे में?

सचिव-फसल में ही हिस्सा मिलेगा। लेकिन क्रय विक्रय से होने वाली आय में भी हिस्सेदारी होगी। पूरी ईमानदारी से हिसाब किताब रखा जायेगा। समय समय पर जरूरी सूचना भी दी जायेगी।

अध्यक्ष(खड़े होकर)-अभी शुरूआत होगी। व्यवसायिक तरीके अपनाये जायेंगे। व्यवस्था पारदर्शी होगी। कोई भी सदस्य किसी भी समय पंचायतघर में आकर जानकारी ले सकता है,या मेरे घर पर आ सकता है। यदि किसी के सामने घर परिवार की कोई बड़ी समस्या आये, तो भी बताना पड़ेगा। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। (बैठते हैं।)

सचिव-अब सभा का समापन होता है। पुनः सभा का आयोजन किया जायेगा।

(सभी प्रस्थान करते हैं।)

(पर्दा गिरता है।)

'चतुर्य दृष्य'

(सूत्रधार सभा के आयोजन की सूचना सभी

गांव वालों को देता है।)

(आमसभा बुलायी गयी है। सभी ग्रामवासी आ गये हैं।)

सभा आरम्भ होती है।(पर्दा उठता है।)

अध्यक्ष (खड़े होकर)- सभी का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। आज सबसे बड़ी खुशखबरी है,कि सभी को फसल का हिस्सा बांट दिया गया है। पहले साहब लगभग ड्योढ़ा लाभ कमाया है। अर्थात पिछले सालों से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी उत्पादन में हुयी है। इससे लाभ भी अधिक मिला। अगले वर्ष इससे अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हम सोसायटी की ओर से सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देते हैं। जो किसान अभी भी सहकारिता पर संदेह करते हों, वे अच्छी तरह समझ लें, कि यह लाभ का प्रयोजन है। यह हानि का कार्य कतई नहीं है। इसलिए आप सभी अपना अनुभव हमें अवश्य बतायें, जिससे 'सहकारिता गांव' के बारे में प्रदेश भर की जनता को मालूम हो सके, और देश में भी इसका संदेश जाये। (बैठते हैं।)

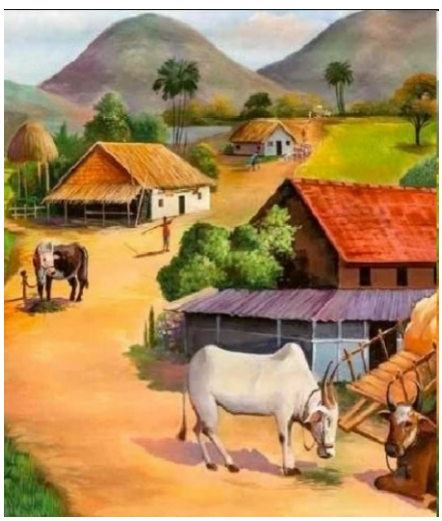

सचिव-सभी को बधाइयां। हमारे संगठित प्रयास का फल है, जो पहले से 50 प्रतिशत आय बढ़ी है। सभी का कार्य सराहनीय रहा। इसलिए, भविष्य इसका प्रयोग दोहराया जायेगा। सभी सहमत हों, तो अगले वर्ष की प्रस्तावना तैयार की जाय।

(सभी तुमुलनाद से 'हां' कहकर सहमति प्रगट करते हैं।)

ठीक है। आगे की कार्यवाही कल से आरम्भ हो सकेगी। अभी लोग अपनी बात रखेंगे।

पहला ग्रामीण-जय हो। जय हो सहकारिता की। हमें बहुत अच्छा लगा। सभी के साथ मिल कर काम करना, नया अनुभव था। अब हम सहकारी खेती को अपनायेंगे। (बैठता है।)

दूसरा ग्रामवासी- जय किसान। जय सहकार। बड़ा आनंद दायक रहा यह कार्यक्रम। कोई समस्या नहीं आयी। एकता और मेल मिलाप से बड़ा संतोष मिला। आत्मिक अनुभव रहा। (बैठता है।)

तीसरा ग्रामीण-ड्यूटी की तरह काम करने का मजा अनोखा था। अनुशासन से सीखने को मिला, विश्वास बढ़ा। पैदावार बढ़ना हर्ष का विषय है। हम सब खुश हैं और आशा है कि सभी खुश होंगे। किसी को कोई शिकायत नहीं हुयी, न कोई समस्या आयी। यह तो अचरज की बात है। मजेदार अनुभव को बताया नहीं जा सकता। हमें अति प्रसन्नता है। आगे भी सहकारी खेती करेंगे। (बैठता है।)

चौथा ग्रामवासी-जय जवान जय किसान। जैसे सरहद पर जवान अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके मुकाबले तो हमारी ड्यूटी कुछ भी नहीं है। हम सब आसानी से आपसी तालमेल से सहकारी खेती सीख गये हैं। यह कार्यक्रम अन्य गांवों में भी फैलाया जाय।

सचिव- (बीच में रोक कर) हम सभी शीघ्र ही अगली बैठक खेत में ही रखेंगे, जिससे सभी को अपना अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। अभी मालूम हुआ है कि स्कूल का निरीक्षण करने के लिये मण्डलीय अधिकारी आये हैं,तो उनसे मिलना पड़ेगा। अब आप जा सकते हैं। कल से हम नया कार्यक्रम तय करेंगे। इसलिए, शाम 4 बजे पंचायतघर आ जाइयेगा। सभा समाप्त की जाती है।

(सभी उठ कर प्रस्थान करते हैं।)

पर्दा गिरता है।

❑❑❑

पता : 1/53, विनयखण्ड,
गोमतीनगर,
लखनऊ-226010.

योग रखे निरोग

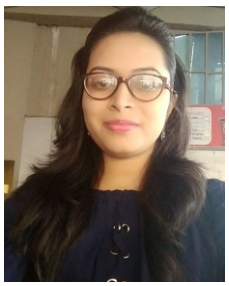

- सोनल मंजू श्री ओमर

संसार में सब प्रकार का वैभव, सुख-सुविधा, ऐश्वर्य सब कुछ है लेकिन यदि अपना मन सुखी नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते! पर क्या आपने सोचा है कि मन का सबसे बड़ा दुख क्या है, यही कि हम अपने भीतर एक अपूर्णता, अधूरापन अनुभव करते हैं और उस अधूरेपन को भरने के लिए बाहर के व्यक्ति, वस्तु, संबंध, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य को खोजते हैं जिसके प्रति एक अविवेकपूर्ण तृष्णा जागृत हो जाती है और इसमें व्यक्ति पागल हो करके न जाने कितने अनर्थ करता है। इसलिए योग में कहते है मैं स्वयं में पुर्ण हूं, सृष्टि भी अपनी पूर्णता, दिव्यता में प्रतिष्ठित है, यही है योग का सिद्धांत।

योग को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे प्राणायान, योगा, योग भी कहते हैं। योग एक संस्कृत शब्द है जो युज से आया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना, बांधना। सामान्य भाव में योग का अर्थ है जुड़ना। यानी दो तत्वों का मिलन योग कहलाता है। योग की पूर्णता इसी में है कि जीव भाव में पड़ा मनुष्य परमात्मा से जुड़कर अपने निजी आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाए। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम मन, श्वास और शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाना सीखते है। जिससे तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। इससे शरीर मे लचीलापन, रोगप्रतिरोधक क्षमता, मन और आत्मा में नियंत्रण व आत्मविश्वास विकसित होता है।

योग का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो पांचवीं या छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था । भारतीय प्राचीन ग्रंथों ह भागवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका, गेरांडा संहिता, शिव संहिता, पुराण आदि में भी इसका जिक्र किया है। योग का जनक 'पतंजलि' को माना जाता है, क्योंकि उन्होने योग सूत्रों के माध्यम से इसे और अधिक सुलभ बनाया। इसके अलावा उन्होंने योग के जरिए लोगों को ठीक प्रकार से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी।

आजकल के व्यवहारिक क्रियाकलापों में योग सिर्फ आसनों तक ही सीमित रह गया है। लेकिन वास्तव में यह योग सिर्फ आसनो तक सीमित नहीं है बल्कि इससे कई अधिक है। इससे केवल शारिरिक नहीं अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। करीब 5,000 साल पहले तक योग का विकास सभी चरणों पर किया गया ह जिसमे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप शामिल थे। इसीलिए योग के प्रमुखतः चार प्रकार माने गए है।

'राज योग'

राज का अर्थ शाही होता है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अंग है श्ध्यानश। इस योग के आठ अंग है, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा है अष्टांग योग। यह आठ योग इस प्रकार है, यम (शपथ लेना), नियम (आत्म अनुशासन), आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण (एकाग्रता), ध्यान (मेडिटेशन) और समाधि (अंतिम मुक्ति)।

'कर्म योग'

अगली शाखा कर्म योग या सेवा का मार्ग है और हम में से कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता है। इस बारे में जागरूक होने से हम भविष्य को अच्छा वर्तमान बनाने का एक रास्ता बना सकते है, जो हमें नकारात्मकता और स्वार्थ से बाध्य होने से मुक्त करना है।

'भक्ति योग'

भक्ति योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर, भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है।

'ज्ञान योग'

अगर हम भक्ति को मन का योग मानते है, तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है, ऋषि या विद्वान का मार्ग है। इस पथ पर चलने के लिए योग के ग्रंथो के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है।

आधुनिक युग में लोग अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में योग के महत्व को भूलते जा रहे। कुछ एक लोग जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखते है वे भी जिम जाना पसंद करते है। लेकिन योग करने के अपने ही कई फायदे हैं। जहां सिर्फ जिम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं योग हमारे शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। योग करने से इससे भी अधिक फायदे होते है जैसे- तनाव से मुक्त जीवन, मानसिक शक्ति का विकास, प्रकृति के विपरीत जीवन शैली में सुधार आना, निरोग काया, रचनात्मकता का विकास, मानसिक शांति प्राप्त होना, सहनशीलता में वृद्धि, नशा मुक्त जीवन, वृहद सोच, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास आदि।

योग के इन्ही लाभों को ही जन-जन तक पहुँचाने के लिए व लोगों को जागरूक करने के लिए बाबा रामदेव के किए गए प्रयासों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 21 जून की तिथि को योग दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित कर दिया। 21 जून का दिन ही इसलिए चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 2015 के बाद से सिर्फ भारत मे ही नही बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसका विशेष महत्व है। इससे होने वाले फायदों को सभी ने स्वीकारा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, "योग भारत की प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक हैय मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य हैय विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन- शैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आयें एक अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं।"

इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव-2024 का आयोजन योग के विभिन्न आयामों एवं उसकी उपयोगिता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए किया गया है। योग दिवस -2024 की 100 दिनों की उलटी गिनती शुरू होने के साथ योग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'महिला सशक्तिकरण के लिए योग' के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि योग महोत्सव 2024 का उद्देश्य महिलाओं की भलाई पर फोकस करने और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने के साथ योग को एक व्यापक आंदोलन बनाना है। मंत्रालय ने महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं पर सक्रिय अध्ययन किए जाने का हमेशा सहयोग और समर्थन किया है। योग महिलाओं के सशक्तीकरण, उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण का एक व्यापक साधन है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में शिक्षक, अधिवक्ता और विभिन्न प्रोफेशनल्स की भूमिका निभाती हैं और समाज में व्यापक परिवर्तन कर सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने का काम करती हैं।

योग महोत्सव का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य तथा कल्याण एवं शांति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन को प्रोत्साहित करना है और इसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में 100 दिनों, 100 शहरों तथा 100 संगठनों के क्रियाकलापों का प्रारंभ किया गया। योग दिवस से पहले 100 दिनों की उलटी गिनती का उद्देश्य प्रमुख योग संगठनों, योग गुरूओं और आयुष से जुड़े अन्य लोगों का सहयोग और समर्थन जुटाकर योग की पहुंच को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना है। तो आइए हम सब भी इससे जुड़कर अपने जीवन मे योग को अपनाए। ❑

पता : 202 बी विंग, शांति नगर,
रैयाधार के पास, रामापीर चौकड़ी,
150 फीट रिंग रोड, राजकोट,
गुजरात - 360007 मो0 8780039826

'सहकारिता'
पत्रिका के नियम

1. सहकारिता मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन हर महीने के तीसरे सप्ताह में होता है।
2. सहकारिता का उद्देश्य सहकारिता तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं और समाचारों का प्रचार करना, सहकारिता के उद्देश्य और उपयोग से जनता को परिचित कराना तथा देश की आर्थिक समृद्धि के लिये प्रेरित करना है।
3. इसका वार्षिक मूल्य रू0 150.00 तथा आजीवन सदस्यता के लिए रू0 1500.00 मात्र है।
4. प्रकाशन, विज्ञापन, ग्राहक और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र-व्यवहार सम्पादक सहकारिता पो.बा. नं. 136 लखनऊ से करना चाहिए।
5. सहकारिता में प्रकाशित रचनाओं में प्रकट किये गये विचारों से पूर्णतः अथवा अंशतः सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
6. सहकारिता पत्रिका के न मिलने की सूचना सम्पादक को मास के भीतर मिलनी चाहिए अन्यथा दूसरी प्रति भेजना सम्भव न होगा।
7. सहकारिता में प्रकाशनार्थ सामग्री-लेख समाचार आदि कागज मे एक ही ओर लिखकर निम्न पते पर भेजना चाहिए।

सम्पादक
सहकारिता
पोस्ट बाक्स नं0 136
लखनऊ-226001

'सहकारिता' पत्रिका हेतु विज्ञापन की दरें

1-doj ijk Ik"B	: 0	15]000-00
2-fof'k"V foKkiu ¼vkV ijij ij½	: 0	10]000-00
3-Ik/kkj.k ijk Ik"B	: 0	5]000-00
4-vk/kk Ik"B	: 0	3]000-00
5-pkFkkbi Ik"B	: 0	1500-00

'सहकारिता' साप्ताहिक एवं मासिक का शुल्क

❑ एक प्रति-सहकारिता साप्ताहिक	रू0	3.00
❑ एक प्रति-सहकारिता मासिक	रू0	15.00
❑ वार्षिक-सहकारिता साप्ताहिक	रू0	150.00
❑ वार्षिक-सहकारिता मासिक	रू0	150.00
❑ सहकारिता साप्ताहिक (आजीवन)	रू0	1500.00
❑ सहकारिता मासिक (आजीवन)	रू0	1500.00
❑ साप्ताहिक एवं मासिक संयुक्त (आजीवन)	रू0	3000.00

प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. को आपरेटिव यूनियन लि0 14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ के पते पर शीघ्र मनीआर्डर भेजकर ग्राहक बनें।

वी0पी भेजने का नियम नहीं है।

कृपया पत्र- व्यवहार निम्न पते पर करें:-

सम्पादक
सहकारिता
यू.पी. कोआपरेटिव यूनियन लि0
14, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग,
लखनऊ-226 001.

SAHKARITA
June - 2024

RNI No.-13466/1963
Postal Regd. No. GPOLW-NP/181/2024-26
Total No of Page - 44
Postal Date : 18 & 19 Every Month

सहकारिता के सिद्धान्त

- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
- प्रजातांत्रिक सदस्य–नियंत्रण
- सदस्य की आर्थिक भागीदारी
- शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना
- स्वायत्तता और स्वतंत्रता
- सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग
- सामाजिक कर्त्तव्य बोध